संख्या:03/2021/2828 ई-2/तेरह-2020-02/2020

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 08 जनवरी, 2021

विषय:- वर्ष 2021-22 के लिये आबकारी नीति के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-98/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2021-22, दिनांक 21.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के राजस्व एवं जनहित के दृष्टिगत वर्ष 2021-22 के लिये आबकारी नीति का निम्नवत् निर्धारण करने का निर्णय लिया गया है:-

2.1 देशी मदिरा

2.1.1 देशी मदिरा की श्रेणियां तथा गुणवत्ता:-

वर्ष 2020-21 में देशी मदिरा की तीव्रता के आधार पर निम्नानुसार तीन श्रेणियां प्रचलित है:-

(1) 42.8 प्रतिशत वी./वी. (मसाला)

(2) 36 प्रतिशत वी./वी. (मसाला)

(3) 25 प्रतिशत वी./वी. (सादा व मसाला)

वर्ष 2021-22 में भी उपरोक्त श्रेणियों में मदिरा की आपूर्ति की व्यवस्था यथावत् रखी जाती है। देशी मदिरा की तीव्रता की उपरोक्त तीनों श्रेणियों के लिये कैप्स व लेबुलों के बार्डर के रंग भी वर्ष 2020-21 की भांति वर्ष 2021-22 हेतु यथावत रखे जाएंगे।

वर्ष 2020-21 की भांति वर्ष 2021-22 हेतु प्रदेश में केवल एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए.) से निर्मित देशी मदिरा का विक्रय किया जाएगा।

वर्तमान में देशी मदिरा का निर्माण शीरे से निर्मित ई.एन.ए. से किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को सस्ती एवं उच्च गुणवत्ता की मदिरा उपलब्ध कराने हेतु ग्रेन ई.एन.ए. से निर्मित उच्च गुणवत्ता युक्त मदिरा अतिरिक्त रूप से अनुमन्य की जाती है। इस श्रेणी की मदिरा की यू.पी. मेड लिकर(UPML) नाम से बिक्री देशी मदिरा दुकानों से की जाएगी। यू.पी. मेड लिकर(UPML) की आपूर्ति असेप्टिक ब्रिक पैक (टेट्रा पैक) में अनुमन्य होगी। यू.पी. मेड लिकर(UPML) पूर्णतया ग्रेन ई.एन.ए. से निर्मित होगी जिसकी तीव्रता 42.8 प्रतिशत वी/वी(मसाला) होगी। यू.पी. मेड लिकर(UPML) की उठान एम. जी.क्यू. के उठान में सम्मिलित होगी । यू.पी. मेड लिकर(UPML)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

का उत्पादन कर इसकी आपूर्ति प्रदेश में स्थित आसवनियों द्वारा देशी मदिरा की भाँति सी.एल.-2 अनुज्ञापनों को की जायेगी। यू.पी. मेड लिकर(UPML) के लेबिलों का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

2.1.2 देशी मदिरा दुकानों के वार्षिक एम.जी.क्यू. (न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/ Minimum Guaranteed Quantity) का निर्धारण:-

(i) वर्ष 2021-22 हेतु वर्ष 2020-21 के व्यवस्थित वार्षिक एम.जी.क्यू. पर 7.5 प्रतिशत की वृद्धि कर देशी मदिरा दुकानों का एम.जी.क्यू. निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित वार्षिक एम.जी.क्यू. 48 करोड़ बल्क लीटर पर 7.5 प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर वर्ष 2021-22 हेतु प्रदेश का न्यूनतम एम.जी.क्यू. 51.6 करोड़ बल्क लीटर 36 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता की देशी मदिरा के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है।

(ii) उपरोक्तानुसार आगणित दुकानवार वार्षिक एम.जी.क्यू. के 12 से पूर्णतः विभाजित न हो सकने की स्थिति में इसे अगली संख्या तक, जो 12 से विभाज्य हो, बढ़ा कर वर्ष 2021-22 हेतु अंतिमीकृत एम.जी.क्यू. निर्धारित किया जाएगा।

(iii) नवसृजित देशी मदिरा दुकानों का एम.जी.क्यू. प्रस्तर-2.9.2.1 में प्राविधानित न्यूनतम एम.जी.क्यू. से कम नहीं होगा तथा इस संबंध में प्रचलित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन किया जायेगा ताकि किसी अन्य दुकान का क्षेत्राधिकार प्रभावित न हो एवं निर्धारित एम.जी.क्यू. युक्तिसंगत हो। यह एम.जी.क्यू.36 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता की देशी मदिरा के संदर्भ में होगा। जिले में नवसृजित दुकानों का एम.जी.क्यू. प्रस्तर-2.1.2(i) एवं 2.1.2(ii) द्वारा निर्धारित एम.जी.क्यू. के अतिरिक्त होगा।

2.1.3 देशी मदिरा दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस:-

वर्ष 2021-22 हेतु बेसिक लाइसेंस फीस की व्यवस्था निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

1. मासिक एम्.जी.क्यू. से अतिरिक्त देशी मदिरा के उठान पर बेसिक लाइसेंस फीस न लिये जाने की व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।
2. देशी मदिरा दुकान की वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस वर्ष 2020-21 की बेसिक लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये निर्धारित किया जाएगा।
3. नवसृजित देशी मदिरा दुकानों एवं मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाली दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस रूपया 35.50 प्रति ब.ली. वार्षिक एम.जी. क्यू. के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

2.1.4 देशी मदिरा की लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस):-

वर्ष 2020-21 हेतु प्रतिफल फीस रु.226 प्रति बल्क लीटर (36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में) निर्धारित है। वर्ष 2021-22 हेतु देशी मदिरा की प्रतिफल फीस की दरें वर्ष 2020-21 की भाँति निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	देशी मदिरा की श्रेणी, तीव्रता	वर्ष 2021-22 हेतु प्रस्तावित प्रतिफल फीस की दर (रु. प्रति बल्क लीटर)
1.	42.8 प्रतिशत वी./वी. के रुप में	268.69

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.	36 प्रतिशत वी./वी. के रुप में	226.00
3.	25 प्रतिशत वी./वी.के रुप में (सादा, मसाला)	156.94

दुकान की मासिक लाइसेंस फीस जो मासिक एम.जी.क्यू. में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य होगी, प्रतिमाह अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु उपरोक्तानुसार आगणित मासिक एम.जी.क्यू. की निकासी में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य मासिक लाइसेंस फीस के समायोजन का अनुज्ञापी हकदार होगा। मासिक लाइसेंस फीस के उपरोक्तानुसार भुगतान, समायोजन में विफल रहने पर दुकान की प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी तथा दुकान का अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जायेगा।

2.1.5 बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस की देयतायें:-

एम.जी.क्यू. से अधिक देशी मदिरा की निकासी उठाने पर अतिरिक्त निकासी पर बेसिक लाइसेंस फीस अतिरिक्त रुप से देय नहीं होगी, परन्तु किसी माह में एम.जी.क्यू. से अधिक उठायी गयी देशी मदिरा पर उदग्रहणीय प्रतिफल शुल्क, अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क एवं विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का समायोजन अगले महीनों हेतु निर्धारित मासिक लाइसेंस फीस के विरुद्ध नहीं होगा।

2.1.6 देशी मदिरा पर अतिरिक्त प्रतिफल फीस लिया जाना:-

वर्ष 2020-21 में देशी मदिरा के ऑप्टिमम रिटेल प्राइस को बढ़ाकर देशी मदिरा की एम.आर.पी. रु.5/- के अगले गुणांक में निर्धारित की गयी है एवं अन्तर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रुप में आसवनी स्तर पर ही वसूल किया जा रहा है। इस व्यवस्था को आगामी वर्ष 2021-22 के लिये यथावत रखा जाता है। इस प्रकार वसूली गयी अतिरिक्त प्रतिफल फीस और विशेष अतिरिक्त प्रतिफल फीस की धनराशि देशी मदिरा के फुटकर अनुज्ञापी की लाइसेंस फीस में समायोजन योग्य नहीं होगी। परन्तु अनुज्ञापी द्वारा मासिक एम.जी.क्यू. का पूर्ण रूप से उठान न किये जाने की स्थिति में अनुज्ञापी को, न उठाये गये एम.जी.क्यू. की मात्रा में सन्निहित प्रतिफल शुल्क व इसमें सन्निहित 36 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता की देशी मदिरा के 200 एम.एल. की बोतलों की संख्या पर देय अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क एवं विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

2.1.7(i) देशी मदिरा का मूल्य निर्धारणः-

वर्ष 2021-22 हेतु देशी मदिरा के अधिकतम थोक व अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित तालिका के अनुसार किया जाता है:-

<u>इन्टीग्रेटड एक्साइज सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट सिस्टम (IESCMS) लागू होने के पूर्व</u>

क्र.सं.	देशी मदिरा का प्रकार	धारिता (एम.एल.)	प्रतिफल शुल्क रहित एक्स आसवनी मूल्य (रुपये में)	प्रतिफल शुल्क	अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)	विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)	थोक क्रय मूल्य (रुपये में)	थोक विक्रय मूल्य (रुपये में)	अधिकतम फुटकर बिक्रय मूल्य (रुपये में)
1.	42.8प्रतिशत वी./वी.(मसाला)	200	5.23	53.74	0.67	5.00	59.78	60.68	80.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2.	36 प्रतिशत वी/वी (मसाला)	200	4.89	45.20	1.78	5.00	50.87	51.69	70.00
3.	25 प्रतिशत वी/वी (सादा, मसाला)	200	4.33	31.39	4.76	-	36.44	37.13	50.00

<u>इन्टीग्रेटड एक्साइज सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट सिस्टम (IESCMS) लागू होने के पश्चात</u>

क्र.सं.	**देशी मदिरा का प्रकार**	**धारिता (एम.एल.)**	**प्रतिफल शुल्क रहित एक्स आसवनी मूल्य (रुपये में)**	**प्रतिफल शुल्क**	**अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)**	**विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)**	**थोक क्रय मूल्य (रुपये में)**	**थोक विक्रय मूल्य (रुपये में)**	**अधिकतम फुटकर बिक्रय मूल्य (रुपये में)**
1.	42.8प्रतिशत वी./वी.(मसाला)	200	5.14	53.74	0.77	5.00	59.68	60.58	80.00
2.	36 प्रतिशत वी/वी (मसाला)	200	4.80	45.20	1.89	5.00	50.77	51.58	70.00
3.	25 प्रतिशत वी/वी (सादा, मसाला)	200	4.24	31.39	4.86	-	36.34	37.03	50.00

(संलग्नक-1)

(ii) वर्ष 2021-22 हेतु यू.पी. मेड लिकर(UPML) के अधिकतम थोक व अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित तालिका के अनुसार किया जाता हैः-

<u>इन्टीग्रेटड एक्साइज सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट सिस्टम (IESCMS) लागू होने के पूर्व</u>

क्र.सं.	**देशी मदिरा का प्रकार**	**धारिता (एम.एल.)**	**प्रतिफल शुल्क रहित एक्स आसवनी मूल्य (रुपये में)**	**प्रतिफल शुल्क**	**अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)**	**विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)**	**थोक क्रय मूल्य (रुपये में)**	**थोक विक्रय मूल्य (रुपये में)**	**अधिकतम फुटकर बिक्रय मूल्य (रुपये में)**
1.	यू.पी. मेड लिकर(UPML) 42.8प्रतिशत	200	8.57	53.74	1.88	5.00	63.46	64.47	85.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	वी./वी.(मसाला)								

इन्टीग्रेटड एक्साइज सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट सिस्टम (IESCMS) लागू होने के पश्चात

क्र.सं.	देशी मदिरा का प्रकार	धारिता (एम.एल.)	प्रतिफल शुल्क रहित एक्स आसवनी मूल्य (रुपये में)	प्रतिफल शुल्क	अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)	विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)	थोक क्रय मूल्य (रुपये में)	थोक विक्रय मूल्य (रुपये में)	अधिकतम फुटकर बिक्रय मूल्य (रुपये में)
1.	यू.पी. मेड लिकर(UPML) 42.8प्रतिशत वी./वी.(मसाला)	200	8.48	53.74	1.98	5.00	63.36	64.37	85.00

(संलग्नक-2)

नोटः- देशी मदिरा एवं यू.पी. मेड लिकर(UPML) के मूल्य निर्धारण में बार-कोड, क्यू.आर.कोड ऐप्लीकेशन में रु.0.15 प्रति यूनिट की व्यवस्था की गयी है। आई.इ.एस.सी.एम.एस. लागू होने के उपरांत उपरोक्त रु.0.15 में से रु.0.09 ट्रेक ऐण्ड ट्रेस एप्लीकेशन हेतु आसवनियों को प्रतिफल शुल्क रहित एक्स आसवनी मूल्य में से जमा करना होगा।

2.1.8 वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति में आसविनयों से देशी मदिरा की आपूर्ति के संबंध में निम्न प्राविधान किया गया था:-

"प्रत्येक देशी मदिरा उत्पादक आसवनी यह सुनिश्चित करेगी कि देशी मदिरा की आपूर्ति इण्डेण्ट प्राप्ति से 03 दिन के भीतर हो जाय। विलम्ब की दशा में इण्डेण्ट में वांछित निकासी में सन्निहित राजस्व के 0.5 प्रतिशत की दर से आसवनी पर प्रतिदिन जुर्माना आरोपित होगा। यह जुर्माना संबंधित आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा प्रत्येक सप्ताह आगणित कर के आसवनी के अग्रिम खाते से समायोजित कर लिया जायेगा जिसे लाल स्याही से अंकित किया जायेगा।

प्रतिबंध यह होगा कि गत् तीन वर्षो में किसी आसवनी द्वारा संगत माह में किये गये देशी मदिरा के अधिकतम उत्पादन पर 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये वर्ष 2020-21 के संगत माह की अधिकतम उत्पादन क्षमता निर्धारित की जायेगी। परन्तु यह आसवनी की स्वीकृत वार्षिक पेय क्षमता के मासिक औसत से अधिक नहीं होगी। यदि आसवनी द्वारा देशी एवं विदेशी मदिरा दोनों का उत्पादन किया जा रहा है तो गत वर्ष का विदेशी मदिरा उत्पादन स्वीकृत पेय क्षमता से घटाया जायेगा। अधिकतम मासिक उत्पादन क्षमता से कम उत्पादन निकासी करने वाली आसवनी, जहॉ तीन दिवस से अधिक अवधि के इण्डेण्ट लम्बित होंगे, के संबंध में माह के अंत में अधिकतम उत्पादन क्षमता एवं वास्तविक रूप से किये गये उत्पादन का अंतर निकाला जायेगा। इस अंतर की सीमा तक के 03 दिवस से अधिक अवधि के लम्बित सबसे पुराने इण्डेण्टों से आरम्भ करते हुये ऐसे समस्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

इण्डेण्टों की आपूर्ति इस प्रस्तर के अनुसार विलम्बित मानी जायेगी एवं तदनुसार जुर्माना आरोपित किया जायेगा। ऐसी आसवनियॉ जहॉ तीन दिवस से अधिक अवधि के लम्बित इण्डेण्टों में सन्निहित मदिरा की मात्रा आसवनी की अधिकतम औसत उत्पादन क्षमता से कम होगी, वहॉ पर उपरोक्त प्रस्तर के प्राविधानानुसार जुर्माना आरोपित किया जायेगा।

उदाहरण के लिये किसी आसवनी द्वारा यदि गत तीन वर्ष में माह अप्रैल में क्रमशः 90 ब.ली., 100 ब.ली. एवं 95 ब.ली. देशी मदिरा का उत्पादन किया गया है तो गत तीन वर्षो में माह अप्रैल का देशी मदिरा का अधिकतम उत्पादन 100 ब.ली. को 15 प्रतिशत बढ़ाने पर संदर्भगत वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल की देशी मदिरा की अधिकतम उत्पादन क्षमता 115 ब.ली. निर्धारित होगी। यदि आसवनी द्वारा माह अप्रैल में इससे अधिक उत्पादन कर निकासी दी गयी है तो कोई पेनाल्टी देय नहीं होगी।

यदि माह अप्रैल में इससे कम उत्पादन हुआ, उदाहरण के लिये केवल 100 ब.ली. का उत्पादन कर निकासी दी गयी है तो निर्धारित अधिकतम उत्पादन क्षमता के सापेक्ष किये गये कम उत्पादन "15 ब.ली." के समतुल्य सबसे पुराने लम्बित इण्डेण्ट पर पेनाल्टी देय होगी। ऐसे चिन्हित इण्डेण्ट पर इण्डेण्टवार, इण्डेण्ट की तिथि से 03 दिवस के अतिरिक्त मासान्त तक हुये विलम्ब के लिये इस प्रस्तर में निर्धारित पेनाल्टी देय होगी। प्रत्येक माह के लिये उपरोक्तानुसार पेनाल्टी का निर्धारण किया जायेगा।

यदि आसवनी की स्वीकृत वार्षिक पेय क्षमता 1500 ब.ली. है एवं उक्त आसवनी द्वारा गत वर्ष 240 ब.ली. का विदेशी मदिरा का उत्पादन किया गया है तो मासिक औसत उत्पादन क्षमता का आगणन {(1500-240)/12=105 ब.ली.)} होगी। उक्त स्थिति में 105 ब.ली. के अतिरिक्त निकासी दिये जाने पर कोई पेनाल्टी देय नहीं होगी।

प्रत्येक आसवनी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इण्डेण्ट प्राप्ति के 02 कार्य दिवसों के अन्दर इण्डेण्ट में सन्निहित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क को राजकोष में जमा कर दिया जाय अन्यथा की दशा में रू.5,000/- प्रतिदिन की दर से आसवनी पर जुर्माना आरोपित किया जायेगा। यह जुर्माना सम्बन्धित आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा प्रत्येक सप्ताह आगणित करके आसवनी के अग्रिम खाते से समायोजित कर लिया जायेगा, जिसे लाल स्याही से अंकित किया जायेगा।"

थोक अनुज्ञापनों से प्राप्त इण्डेण्ट के सापेक्ष देशी मदिरा की आपूर्ति की समय सीमा एवं विलम्ब की दशा में जुर्माना के संबंध में वर्ष 2020-21 के उपरोक्त प्राविधान को वर्ष 2021-22 में यथावत रखा जाता है।

2.1.9 देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु निर्धारित धारितायें:-

वर्ष 2020-21 की भॉति वर्ष 2021-22 में देशी मदिरा की आपूर्ति 42.8 प्रतिशत तीव्रता(मसाला), 36 प्रतिशत तीव्रता (मसाला) एवं 25 प्रतिशत तीव्रता (सादा, मसाला) में मात्र 200 एम.एल. की धारिता वाली पेट बोतलों, असेप्टिक ब्रिक पैक् (टेट्रापैक) अथवा कांच की बोतलों में किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.1.10 देशी मदिरा की निर्यात, आयात पास फीस:-

वर्ष 2020-21 की भाँति वर्ष 2021-22 में देशी मदिरा की निर्यात पास फीस रु.10/- प्रति ए.एल. तथा आयात फीस रु.1 प्रति ए.एल. यथावत रखा जाता है।

2.1.11 आयातित देशी मदिरा की आपूर्तिः-

देशी मदिरा की आपूर्ति में आ रही कठिनाइयों के निवारण हेतु विशिष्ट परिस्थितियों में प्रदेश के बाहर से आयातित देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु वर्ष 2019-20 में प्राविधानित व्यवस्था यथावत रखी जाती है।

2.2 विदेशी मदिरा

2.2.1 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस:-

विदेशी मदिरा दुकान की वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस वर्ष 2020-21 की वार्षिक लाइसेंस फीस पर 7.5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये निर्धारित की जाएगी। इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रूपया 5000/- के गुणक में नहीं पायी जाती है तो उसे बढ़ाकर रूपया 5000/- के अगले स्तर पर राउण्ड ऑफ करके निर्धारित किया जायेगा।

2.2.2 विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. का निर्धारण:-

वर्ष 2021-22 हेतु भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई.एम.एफ.एल.) की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. का निर्धारण निम्नवत् किया जाता हैः-

क्र.सं.	ई.डी.पी. की श्रेणी प्रति बोतल (750 एम.एल.) (E) (रु.)	श्रेणी का नाम	प्रतिफल फीस प्रति बोतल (750 एम.एल.) (D) (रु.)	थोक विक्रेता का मार्जिन (WM) (रु.)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (RM) (रु.)	एम.आर.पी. का सूत्र (MRP) (रु.)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	0 से 70 तक	इकोनोमी	रु.240+ई.डी.पी. का 75%	रु.3.75+ई.डी.पी. का 3.00%	रु.60+ई.डी.पी. का 20%	कालम 2+4+5+6 का योग
2.	70 से अधिक, 125 तक	मीडियम	रु.262+ई.डी.पी. का 82%	रु.4.00+ई.डी.पी. का 2.80%	रु.60+ई.डी.पी. का 20%	कालम 2+4+5+6 का योग
3.	125 से अधिक, 250 तक	रेगूलर	रु.270+ई.डी.पी. का 83%	रु.4.00+ई.डी.पी. का 2.80%	रु.75+ई.डी.पी. का 10%	कालम 2+4+5+6 का योग
4.	250 से अधिक, 400 तक	प्रीमियम	रु.275+ई.डी.पी. का 85%	रु.4.75+ई.डी.पी. का 2.50%	रु.75+ई.डी.पी. का 10%	कालम 2+4+5+6 का योग
5.	400 से अधिक, 600 तक	सुपर प्रीमियम	**रु.290+ई.डी.पी. का 90%**	रु.4.75+ई.डी.पी. का 2.50%	रु.85+ई.डी.पी. का 7.5%	कालम 2+4+5+6 का योग
6.	600 से अधिक	स्कॉच	**रु.300+ई.डी.पी. का 95%**	रु.4.75+ई.डी.पी. का 2.50%	रु.85+ई.डी.पी. का 7.5%	कालम 2+4+5+6 का योग

उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2021-22 हेतु निम्न व्यवस्थाएं निर्धारित की जाती हैं:-

(1) वर्ष 2021-22 हेतु कांच और पेट बोतलों, असेप्टिक ब्रिक पैक् (टेट्रापैक) एवं कैन में विदेशी मदिरा की आपूर्ति अनुमन्य होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) विदेशी मदिरा ब्राण्ड के मूल्य निर्धारण हेतु आसवनी/बाण्डधारक इकाई को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि संबंधित ब्राण्ड के लिये उनके द्वारा घोषित ई.डी.पी. कास्ट एकाउन्टेन्ट अथवा कम्पनी सेक्रेटरी द्वारा प्रमाणित है, जो उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगढ़, उत्तराखण्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश एवं बिहार (सम्प्रति बिहार में मद्यनिषेध है) में घोषित संबंधित ब्राण्ड या उसके सामानान्तर ब्राण्ड के लिये घोषित न्यूनतम ई.डी.पी. के समतुल्य अथवा उससे कम है। विभिन्न प्रदेशों में ई.डी.पी. में सम्मिलित किये जाने वाले मदों में एकरूपता नहीं है। प्रत्येक प्रदेश में लाइसेंस फीस, बॉटलिंग फीस, आयात फीस, ब्राण्ड पंजीकरण फीस, लेबुल अनुमोदन फीस, शीरा पर प्रशासनिक फीस, ई.एन.ए. पर वैट, परमिट फीस, स्पेशल फीस आदि भिन्न है। अतः ई.डी.पी. का मिलान करने हेतु इनका संज्ञान लिया जायेगा। शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया जायेगा कि जांच में अभिकथन असत्य पाये जाने पर प्रतिभूति में से रुपया 1 लाख जब्त करते हुये ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाये।

(3) 180 एम.एल. धारिता हेतु दी गयी ई.डी.पी. के आधार पर अन्य धारिताओं की ई.डी.पी. का निर्धारण किया जाएगा एवं गतवर्ष की भॉति ई.डी.पी. का आगणन निम्नानुसार होगाः-

EDP(180)= आसवक द्वारा घोषित
EDP(60)= [EDP(180)/180]*60
EDP(90)= [EDP(180)/180]*90
EDP(375)= [(EDP(180)/180)*375]-2
EDP(750)= [(EDP(180)/180)*750]-7

90 एम.एल.व 60 एम.एल.के एम.आर.पी. निर्धारण हेतु ई.डी.पी. का आगणन 180 एम.एल. की ई.डी.पी. के आधार पर समानुपातिक रुप से किया जाएगा।

(4) स्पेशल फीस एवं ट्रेक एण्ड ट्रेस क्रियान्वयन हेतु रु.0.35 प्रत्येक बोतल की ई.डी.पी. में सम्मिलित होंगे।

(5) विदेशी मदिरा के अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य को राउण्ड ऑफ करते हुये, 10 के गुणांक के अगले स्तर पर निर्धारित कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रूप में लिया जायेगा।

2.2.3 विदेशी मदिरा का ई.एन.ए. से निर्माण:-

विदेशी मदिरा की सभी श्रेणियों का निर्माण ई.एन.ए. से करने की व्यवस्था प्रभावी है, जिसे वर्ष 2021-22 में भी यथावत रखा जाता है।

2.2.4 प्रतिरक्षा सेनाओं एवं अन्य केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक सुरक्षा बलों को विदेशी मदिरा की आपूर्ति:-

उक्त के लिए वर्ष 2020-21 में निम्न प्राविधान था:-

(1) लाइसेंस फीस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.सं.	अनुज्ञापन का प्रकार	लाइसेंस फीस की दर
1	एफ.एल.-9 एवं एफ.एल.-9ए	1. विदेशी मदिरा- रूपया 30.00/- प्रति बोतल (750 एम.एल.) 2. बीयर - रूपया 07.00 /- प्रति बोतल (650 एम.एल.)
2	एफ.एल.-2ए	रूपया 10,000/- प्रति वर्ष प्रति अनुज्ञापन

(2) वर्ष 2020-21 में एफ.एल.-9 एवं एफ.एल.-9ए के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस सिविल हेतु अनुमन्य प्रतिफल फीस का 60 प्रतिशत निर्धारित थी।

(3) एफ.एल.-9ए अनुज्ञापनों के अन्तर्गत रियायती रम की आपूर्ति इकोनोमी श्रेणी की विदेशी मदिरा की ई.डी.पी. रुपये 0 से 70 तक के अनुसार अनुमन्य थी।

(4) सेना के अधिकारियों को एफ.एल.-9 अनुज्ञापनों के माध्यम से बीयर की भांति एल.ए.बी. की बिक्री अनुमन्य थी।

(5) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक सुरक्षा बलों को एफ.एल.-9ए अनुज्ञापन अनुमन्य थे। इसके अतिरिक्त उन्हें एफ.एल.-9 का अनुज्ञापन भी अनुमन्य किया गया।

उपरोक्त प्राविधान वर्ष 2021-22 में निम्न संशोधन के साथ यथावत रखा जाता है:-

वर्ष 2021-22 में भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस सिविल हेतु अनुमन्य प्रतिफल फीस का 60 प्रतिशत होने की सुविधा प्रीमियम श्रेणी तक ही अनुमन्य होगी। प्रीमियम श्रेणी से उच्च श्रेणी की भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस सिविल हेतु अनुमन्य प्रतिफल फीस के समान होगी।

2.2.5 एफ.एल.-1, एफ.एल.-1ए (आसवनी स्तर से विदेशी मदिरा, बीयर की आपूर्ति के थोक अनुज्ञापन) की लाइसेंस फीस:-

वर्ष 2020-21 हेतु एफ.एल.-1, एफ.एल.-1ए अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस रु.6,25,000/- एवं प्रतिभूति धनराशि रु.62,500/- प्रति अनुज्ञापन निर्धारित है जिसे वर्ष 2021-22 हेतु यथावत रखा जाता है।

2.2.6 विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के बंधित गोदामः-

(1) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के बंधित गोदाम के अनुज्ञापनों (बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी) का व्यवस्थापन:-

वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 की भॉति ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के नये बंधित गोदामों का व्यवस्थापन, उत्तर प्रदेश आबकारी(विदेशी मदिरा बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2011 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार किया जाएगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के बंधित गोदाम अनुज्ञापनों (बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी) का नवीनीकरण:-

वर्ष 2020-21 में स्वीकृत बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी अनुज्ञापनों का, संबंधित अनुज्ञापी द्वारा वर्ष 2021-22 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तों, प्रतिबंधों से सहमति की दशा में अनुज्ञापी की इच्छा पर वर्ष 2021-22 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकेगा। नवीनीकरण हेतु वर्ष 2020-21 में निर्धारित की गयी व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

2.2.7 विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के बंधित गोदाम अनुज्ञापनों (बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी) हेतु प्रोसेसिंग फीस, नवीनीकरण फीस, अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूति एवं अन्य व्यवस्थायें:-

(1) अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ वर्ष 2020-21 में रु.50,000/- प्रोसेसिंग फीस के रुप में निर्धारित थी जिसमें 10 प्रतिशत वृद्धि कर वर्ष 2021-22 हेतु रूपया 55,000/- निर्धारित किया जाता है।

(2) नवीनीकरण हेतु आवदेन करते समय नवीनीकरण फीस में 10 प्रतिशत वृद्धि कर वर्ष 2021-22 में रूपया 55,000/- लिया जाएगा।

(3) वर्ष 2021-22 हेतु उपरोक्त अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति वर्ष 2020-21 दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि कर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	**अनुज्ञापन का प्रकार**	**अनुज्ञापन का विवरण**	**वर्ष** 2021-22 **हेतु लाइसेंस फीस (लाख रुपये में)**	**वर्ष** 2021-22 **हेतु प्रतिभूति धनराशि (लाख रुपये में)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	**BWFL-2A**	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित विदेशी मदिरा की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	11.00	5.50
2.	**BWFL-2B**	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित बीयर की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	8.25	4.40
3.	**BWFL-2C**	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित वाइन की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	0.85	0.55
4.	**BWFL-2D**	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित एल.ए.बी. की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	0.55	0.275

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

(4) अन्य व्यवस्थायें:-

(क) गत वर्ष की भॉति यदि प्रदेश के बाहर की कोई इकाई प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बाण्ड अनुज्ञापन लेना चाहे तो एक प्रार्थना-पत्र के साथ ही उसे विभिन्न जनपदों में अनुज्ञापन दिया जाएगा एवं इस निमित्त उससे प्रत्येक अनुज्ञापन हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस ली जायेगी।

अन्य अनुज्ञापनों से विक्रय किये जाने वाले ब्राण्डस, उनके लेबुलों एवं एम.आर.पी. का अनुमोदन संपूर्ण प्रदेश हेतु उत्पादक बॉटलिंग इकाई द्वारा एक बार ही कराया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि सम्पूर्ण प्रदेश के लिये ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबिल अनुमोदन फीस एक ही बार देय होगी।

(ख) गत वर्ष की भॉति मास्टर वेयरहाउस (Master Warehouse) पंजीकरण अनुमन्य होगा एवं वर्ष 2021-22 हेतु पंजीकरण फीस रु.50,000 प्रति वेयरहाउस रखा जाता है। गत वर्ष पंजीकृत मास्टर वेयर हाउस का वर्ष 2021-22 हेतु रूपया 50,000/- नवीनीकरण फीस जमा करने पर आबकारी आयुक्त द्वारा नवीनीकरण अनुमन्य किया जाएगा।

(ग) नवीनीकृत बाण्ड अनुज्ञापनों पर वर्ष 2020-21 में प्रतिफल शुल्क के मद में अग्रिम रूप से जमा और अनप्रयुक्त धनराशियों को वर्ष 2021-22 में अग्रेनीत कर समायोजित किया जाएगा।

2.2.8 (i) विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञा पत्र फीसः-

वर्ष 2020-21 में बोतलों में आयातित विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञा पत्र फीस रु.12/- प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा के बल्क में आयात पर (मिलेट्री कैन्टीन या सी.एस.डी. लाइसेंसधारी को छोड़कर) रु.5/- प्रति बल्क लीटर आयात अनुज्ञा पत्र फीस निर्धारित थी जिसे 2021-22 में यथावत रखा जाता है।

(ii) विदेशी मदिरा की निर्यात पास फीस सिविल:-

विदेशी मदिरा का बल्क में निर्यात किये जाने पर निर्यात पास फीस वर्ष 2020-21 हेतु रु.3/- प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा का बोतलों में निर्यात किये जाने पर निर्यात पास फीस रु.1.50/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित है। इस व्यवस्था को वर्ष 2021-22 में यथावत रखा जाता है।

वर्ष 2020-21 में भारतीय सेना को आपूर्ति की जाने वाली रियायती रम पर निर्यात पास फीस रुपये 1.00 प्रति ए.एल. निर्धारित है, जिसे वर्ष 2021-22 हेतु यथावत रखा जाता है।

2.2.9 विदेशी मदिरा की 90 एम.एल.व 60 एम.एल.की धारिता में आपूर्ति:-

वर्ष 2020-21 हेतु 60 एम.एल. एवं 90 एम.एल. की धारिता की बोतलों में विदेशी मदिरा की बिक्री प्रीमियम एवं उससे ऊपर की श्रेणियों में शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में अनुमन्य है। वर्ष 2021-22 हेतु उपरोक्त व्यवस्था को इस संशोधन के साथ रखा जाता है कि 90 एम.एल. की धारिता की बोतलों में विदेशी मदिरा की बिक्री विदेशी मदिरा की रेगुलर श्रेणी में भी अनुमन्य होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.2.10 बार एवं क्लब लाइसेंस:-

समस्त बार अनुज्ञापन उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसो की स्वीकृति) नियमावली, 2020 के अनुसार संचालित होंगे।

(क) श्रेणीकरण एवं लाइसेंस फीसः-

वर्ष 2020-21 में बार अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस का पुन: निर्धारण इस प्रतिबंध के साथ किया गया था कि किसी भी बार अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस उसके द्वारा पूर्व वर्ष में अदा की गई लाइसेंस फीस से कम नहीं होगी। इस प्रतिबंध के कारण एक ही श्रेणी के शहर में एक ही प्रकार के बार अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस दो प्रकार (पुरानी लाइसेंस फीस के आधार पर एवं नयी लाइसेंस फीस के आधार पर) से निर्धारित हुयी है। इस विसंगति को दूर कर बार लइसेंस फीस के निर्धारण को न्यायोचित बनाये जाने की दृष्टि से उक्त प्रतिबंध को वर्ष 2021-22 में समाप्त किया जाता है। पर्यटन विभाग द्वारा विकसित किये जा रहे क्षेत्रों अथवा वन विभाग द्वारा घोषित वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी की सीमा पर स्थित पर्यटक स्थल श्रेणी-4 में स्थित होने की संभावना के दृष्टिगत उस क्षेत्र में स्वीकृत किये जाने वाले एफ.एल.-6 अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस में वृद्धि की जाएगी। एफ.एल.-8 अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस में भी वृद्धि की जाती है। शेष श्रेणी के अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस वर्ष 2020-21 की भॉति यथावत रखी जाती है।

उक्त के दृष्टिगत वर्ष 2021-22 हेतु बार अनुज्ञापनों की श्रेणियां एवं उनकी लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	बार अनुज्ञापनों के प्रकार	श्रेणी-1	श्रेणी-2	श्रेणी-3	श्रेणी-4
		गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद के संपूर्ण जिला क्षेत्र तथा कानपुर नगर, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी के नगर निगम क्षेत्र/जिला मुख्यालय के नगर पालिका परिषद्, जिनमें छावनी बोर्ड, नोटिफाइड एरिया एवं विकास प्राधिकरण (सामान्य, विशेष अथवा औद्योगिक) यदि कोई हों, के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं तथा इनकी 5 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र जो भले ही नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हों, में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।	**बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, झांसी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, अयोध्या एवं फिरोजाबाद जिला के नगर निगम क्षेत्र/ जिला मुख्यालय के नगर पालिका परिषद् क्षेत्र, जिनमें छावनी बोर्ड, नोटिफाइड एरिया एवं विकास प्राधिकरण (सामान्य, विशेष अथवा औद्योगिक) यदि कोई हों, के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं तथा इनकी 5 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र जो भले ही नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हों, में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।**	**अन्य समस्त जनपदों के जिला मुख्यालय एवं समस्त जनपदों के नगर पालिका परिषद क्षेत्र, जिनमें छावनी बोर्ड, नोटिफाइड एरिया एवं विकास प्राधिकरण (सामान्य, विशेष अथवा औद्योगिक) यदि कोई हों, के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं तथा इनकी 5 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र जो भले ही नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हों, में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।**	**श्रेणी-1, श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 के क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्र में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।**
1.	एफ.एल.-6	**वार्षिक लाईसेंस फीस**			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	50 कमरों तक	10 लाख	7.50 लाख	5 लाख	2.50 लाख
	51 से 100 कमरों तक	12.50 लाख	10 लाख	7.50 लाख	5 लाख
	101 या उससे अधिक कमरों	15 लाख	12.50 लाख	10 लाख	7.50 लाख
2.	एफ.एल.-6 (पांच सितारा एवं उच्च होटल)	25 लाख	20 लाख	15 लाख	12.5 लाख
	एफ.एल.-6 (चार सितारा होटल)	22.50 लाख	17.50 लाख	12.50 लाख	10 लाख
	एफ.एल.-6 (तीन सितारा होटल)	17.50 लाख	15 लाख	10 लाख	9 लाख
3	एफ.एल.-7	10 लाख	7.50 लाख	5 लाख	2.50 लाख
4.	एफ.एल.-7ए	**वार्षिक लाईसेंस फीस**			
	100 सदस्यों तक	3.00 लाख	3.00 लाख	1.50 लाख	1.50 लाख
	100 से अधिक सदस्यों के लिए	4.00 लाख	4.00 लाख	2.00 लाख	2.00 लाख
5	एफ.एल.-8 (विशेष रेल गाड़ियॉ एवं क्रूज़)	विशेष रेल गाड़ियॉ - रूपया 15.00 लाख क्रूज़(अंतर्राष्ट्रीय)- रूपया 05.00 लाख क्रूज़(अंतर्राज्यीय)- रूपया 03.00 लाख			
6	एफ.एल.-'ए.एल.'-1 (एअरपोर्ट बार लाइसेंस)	रूपया 05.00 लाख			

समारोह बार लाइसेंस(एफ.एल.-11):-

समारोह बार लाइसेंसों की वर्ष 2021-22 हेतु लाइसेंस फीस गत वर्ष की भॉति निम्नानुसार यथावत रखी जाती है:-

समारोह बार लाइसेंसों का वर्गीकरण	**वर्ष 2021-22 हेतु लाइसेंस फीस**
(क) किसी व्यक्ति के अपने घर/ निजी स्थान (Private Place) पर आयोजित समारोह के लिए, जिसमें कोई लाभ अर्जन न हो। (गैर वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु)	रु.4,000/- प्रति दिन
(ख) किसी क्लब, संस्था, व्यक्ति द्वारा किसी होटल/ रेस्टोरेन्ट/बैंकेट हाल/रिसोर्टस/फार्म हाउस/बारात घर, कम्युनिटी सेंटर एवं अन्य किसी स्थान आदि में आयोजित समारोह के लिये प्रदत्त किये जाने वाले अनुज्ञापन हेतु। (वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु)	रु.11,000/- प्रति दिन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एफ.एल.-6 अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस की अदायगी के उपरान्त गत वर्ष की भाँति निम्न सुविधायें 2021-22 में अनुमन्य की जाती है:-

(1) स्टार होटलों के सभी कमरों में तथा नॉन स्टार होटलों के केवल ए.सी. कमरों में अन्तःवासियों हेतु मिनी बार की सुविधा।

(2) होटल परिसर में मदिरा पीने के लिए पूर्व से अनुमन्य 5 स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर रू.50,000/- प्रति स्थान की अतिरिक्त फीस का भुगतान करने पर मदिरा परोसने की अनुमति जिला कलेक्टर स्तर से दिया जाना।

(3) भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा आयातित विदेशी मदिरा को प्रदेश में विक्रय हेतु अनुमन्य ब्राण्डों की 60 एम.एल. की धारिता की बोतलों की होटल के कमरों में उपलब्धता।

(4) ड्रॉट बीयर एवं बीयर की सभी धारिताओं की बोतलों, केन पैक सहित, उपलब्धता।

(5) वाइन की सभी धारिताओं की बोतलों की उपलब्धता।

(ख) बार अनुज्ञापनों की अतिरिक्त कार्यावधि:-

बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसो की स्वीकृति) नियमावली, 2020 के नियम-24 के अनुसार होगी। गत वर्ष की भाँति अतिरिक्त लाइसेंस फीस के भुगतान पर 2021-22 हेतु निम्नानुसार कार्यावधि अनुमन्य की जाती है:-

1- नगर निगम क्षेत्रों तथा गौतमबुद्धनगर में स्थित बारों से रू.एक लाख पच्चीस हजार अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर रात्रि 1.00 बजे तक।

2- नगर निगम क्षेत्रों तथा गौतमबुद्धनगर में स्थित होटल बार अनुज्ञापन परिसरों में मदिरा परोसने की अवधि रु.दो लाख पचास हजार अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर रात्रि 02 बजे तक।

3- तारांकित होटलों में रु.दो लाख पचास हजार प्रति 02 घन्टा की अतिरिक्त फीस लेकर रात्रि 04 बजे तक।

(ग) बार अनुज्ञापनों एवं माइक्रो ब्रिवरी का नवीनीकरण :-

1.वर्ष 2021-22 से बार, क्लब बार एवं माइक्रो ब्रिवरी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण संपूर्ण लाइसेंस फीस जमा किये जाने पर 03 वर्षो हेतु कराये जाने का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।

2. ईज़ आफ डूइंग बिजिनेस के दृष्टिगत माइक्रो ब्रिवरी का नवीनीकरण बार अनुज्ञापन के साथ सुगमता से कराने हेतु नवीनीकरण का अधिकार आबकारी आयुक्त से जिला कलेक्टर को प्रतिनिधानित किया जाता है।

2.3 <u>वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (लो-अल्कोहलिक बिवरेजेज़) (एल.ए.बी.) पर प्रतिफल फीस एवं बिक्री की अनुमन्यता</u>

2.3.1 वाइनः-

(क) वर्ष 2020-21 में भारत में निर्मित वाइन पर आयात शुल्क, रु.03/- प्रति ब.ली. निर्धारित है जिसे वर्ष 2021-22 में यथावत रखा जाता है।

(ख) वर्ष 2020-21 में भारत निर्मित वाइन पर प्रतिफल फीस रु.75/- प्रतिलीटर या एम. आर.पी. का 25 प्रतिशत जो अधिक हो परन्तु इसकी अधिकतम सीमा रु.1,000/- प्रति लीटर निर्धारित है। उक्त व्यवस्था वर्ष 2021-22 में भी यथावत रखी जाती है।

(ग) वर्ष 2020-21 में वाइन की बिक्री विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप से भी अनुमन्य की गयी थी**,** जिसे यथावत रखा जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(घ) प्रदेश में वाइन उत्पादन को प्रोत्साहन

प्रदेश में वाइन का उत्पादन शून्य है एवं वाइन से वर्ष 2020-21 में प्राप्त आय मात्र 9.68 करोड़ है। प्रदेश में विगत कई वर्षो से फलों के उत्पादन में वृद्धि हुयी है। फल उत्पादक किसानों को उनके फल उत्पाद को नष्ट होने से बचाने एवं उनका सदुपयोग करने एवं प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में वाइन के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न सुविधायें उपलब्ध करायी जाएंगीः-

1. प्रदेश में उत्पादित अंगूर/अन्य फल से प्रदेश में विनिर्मित वाइन को आगामी 5 वर्ष के लिये प्रतिफल शुल्क/अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क से मुक्त रखा जायेगा।

2. विन्टनरी को अपने परिसर में स्थानीय उत्पादित वाइन की फुटकर बिक्री हेतु लाइसेंस अनुमन्य होगा। उक्त लाइसेंस में देय प्रतिफल शुल्क अग्रिम रूप से जमा की जाएगी। इस लाइसेंस हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस रु.50,000/- देय होगी।

3. विन्टनरी परिसर में एक 'वाइन टैवर्न' (Wine Tavern) (जहॉ वाइन को पसन्द करने वालों को टेस्टिंग की अनुमति होगी) स्थापित किया जा सकेगा। इस हेतु प्रतिवर्ष रु.2,500/-- फीस देय होगी।

4. विन्टनरी हेतु प्राविधानित वी-1 लाइसेंस की लाइसेंस फीस रूपया 2,500/-, वी-2 लाइसेंस की लाइसेंस फीस रूपया 50,000/- तथा प्रतिभूति रूपया 5,000/- निर्धारित की जाती है।

2.3.2 कम तीव्रता के मादक पेय, एल(Ale), पोर्टर, साइडर व अन्य फर्मेन्टेड लिकर:-

(क) वर्ष 2020-21 में उक्त मादकों के संबंध में भी ई.बी.पी. प्राप्त कर बीयर की भॉति एम.आर.पी. व प्रतिफल फीस के निर्धारण का प्राविधान था जिसे वर्ष 2021-22 में यथावत् रखा जाता है। वर्ष 2020-21 में उक्त मादकों की बिक्री**,** बीयर की दुकानों से अनुमन्य थी जिसे विदेशी मदिरा एवं माडल शाप में भी अनुमन्य किया जाता है।

2.4 <u>बीयर</u>

2.4.1 बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस:-

वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के कारण बीयर की बिक्री अत्यधिक कुप्रभावित हुयी है तथा बीयर उत्पादकों, आपूर्तकों सहित फुटकर अनुज्ञापियों को हानि हुयी है। अप्रैल 2020 से नवम्बर 2020 तक बीयर दुकानों की उठान गत वर्ष 27.08 करोड़ बोतल के सापेक्ष मात्र 17.28 करोड़ बोतल की रही है जो लगभग 36 प्रतिशत कम है। अत: बीयर की फुटकर दुकानों की वार्षिक लाइसेंस फीस में कोई वृद्धि न करते हुये इसे वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस के समान ही रखा जाता है।

2.4.2 बीयर की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी.:-

वर्ष 2020-21 हेतु बीयर की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. का निर्धारण 500 मि.लि. के केन में माइल्ड (5 प्रतिशत वी./वी. या उससे कम अल्कोहल की तीव्रता) एवं स्ट्रांग (5 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता से अधिक परन्तु 8 प्रतिशत वी./वी. अल्कोहल की तीव्रता तक) के लिये समान रुप से करते हुये किया गया जिसे यथावत रखा जाता है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बीयर का प्रतिफल शुल्क पड़ोसी राज्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि से अधिक होने के कारण एम.आर.पी. भी उन राज्यों से अधिक है जिससे तस्करी की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त अल्कोहल मात्रा के आधार पर बीयर पर प्रतिफल शुल्क विदेशी मदिरा की तुलना में अधिक है। इसके अतिरक्त कोविड के कारण बीयर की खपत पर प्रभाव के दृष्टिगत, बीयर पर प्रतिफल शुल्क में कमी की जाती है। वर्ष 2021-22 हेतु प्रतिफल शुल्क एवं एम.आर.पी. आगणन निम्नानुसार किया जाएगा:-

यवासवक द्वारा एक्स ब्रिवरी प्राइस (ई.बी.पी.) घोषित करने हेतु निर्धारित एक्स यवासवनी/ बाण्डधारक इकाई/एक्स सी.एस.डी. मूल्य प्रति केन 500 एम.एल.(रु.में) (EBP)	**प्रतिफल फीस प्रति केन (500 मि.ली.) (रु.में) (D)**	**थोक विक्रेता का मार्जिन प्रति केन (500 मि.ली) (रु.में)**	**फुटकर विक्रेता का मार्जिन प्रति केन (500 मि.ली) (रु.में)**	**अधिकतम फुटकर मूल्य प्रति केन (500 मि.ली.) MRP (रु.में) जिसे रु.10 के अगले गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के रूप में लिया जायेगा।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शून्य से 30 तक	30.50+ई.बी.पी. का 90 प्रतिशत	1.25+ई.बी.पी. का 1.8 प्रतिशत	12.25+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	कालम 1+2+3+4 का योग
30 से अधिक से 35 तक	30.50+ई.बी.पी. का 100 प्रतिशत	1.5+ई.बी.पी. का 2 प्रतिशत	15+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	कालम 1+2+3+4 का योग
35 से अधिक	35+ई.बी.पी. का 100 प्रतिशत	1.5+ई.बी.पी. का 2 प्रतिशत	15+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	कालम 1+2+3+4 का योग

शेष प्रक्रिया गत वर्ष की भांति रहेगी।

वर्ष 2021-22 में केग में बीयर की आपूर्ति हेतु 20, 30 एवं 50 लीटर की धारिताओं को अनुमन्य किया जाता है, जिनकी ई.बी.पी. यवासवक द्वारा पृथक से प्रस्तुत की जायेगी जिसके आधार पर उपरोक्तानुसार प्रतिफल शुल्क का आगणन किया जायेगा।

विभिन्न प्रदेशों में ई.बी.पी. में सम्मिलित किये जाने वाले मदों में एकरूपता नहीं है। प्रत्येक प्रदेश में लाइसेंस फीस, बॉटलिंग फीस, आयात फीस, ब्राण्ड पंजीकरण फीस, लेबुल अनुमोदन फीस, परमिट फीस, स्पेशल फीस आदि भिन्न है। अतः ई.बी.पी. का मिलान प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से करने हेतु इनका संज्ञान लिया जायेगा।

स्पेशल फीस एवं ट्रेक ऐण्ड ट्रेस क्रियान्वयन फीस ई.बी.पी. में सम्मिलित होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2.4.3 बीयर से संबंधित अन्य व्यवस्थायें:-

(क) बीयर की शेल्फ लाइफ

यद्यपि बीयर की शेल्फ लाइफ का निर्धारण किसी आबकारी नियम या एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा नहीं किया गया है लेबिल पर 6 माह के अंदर प्रयोग हेतु उपयुक्त होने का संदेश मुद्रित कराया जाता था। कई प्रदेशों जैसे दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक आदि में बीयर की शेल्फ लाइफ 9 माह से अधिक अनुमन्य की गयी है अथवा यवासवनी के विवेक पर छोड़ दिया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत प्रदेश में बिक्री हेतु आपूर्तित भारत निर्मित बीयर हेतु यवासवनी को इस आशय का प्रमाण-पत्र दिये जाने की स्थिति में कि उनका उत्पाद 10 माह तक उपभोग हेतु उपयुक्त है संबंधित ब्राण्ड की बीयर की शेल्फ लाइफ 9 माह तक अनुमन्य की जाती है।

(ख) वर्ष 2020-21 में निर्धारित भारत निर्मित बीयर व एल.ए.बी. पर निर्यात/आयात शुल्क को वर्ष 2021-22 में निम्नानुसार यथावत रखा जाता है:-

क्र.सं.	शुल्क का प्रकार	वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित
1.	बीयर, पोर्टर, साइडर, ऐल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर निर्यात शुल्क	रु.3.00/ - प्रति बल्क लीटर
2.	बीयर, पोर्टर, साइडर, ऐल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्क	ड्राट बीयर पर रु.1.00/ - प्रति बल्क लीटर तथा ड्राट बीयर को छोड़कर अन्य बीयर पोर्टर, साइडर, ऐल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर रु.2.00/ - प्रति बल्क लीटर

2.4.4 अन्य देशों से आयातित बीयर की परमिट फीस:-

वर्ष 2020-21 में अन्य देशों से आयातित सभी तीव्रता की बीयर के लिये परमिट फीस की दर रु.170/- प्रति लीटर निर्धारित है जिसे वर्ष 2021-22 में कम करते हुये रूपया 150/- प्रति लीटर निर्धारित किया जाता है।

2.4.5 माइक्रो ब्रिवरी द्वारा उत्पादित बीयर पर प्रतिफल शुल्क की दरः-

प्रदेश में माइक्रो ब्रिवरी की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये माइक्रो ब्रिवरी द्वारा उत्पादित बीयर पर प्रतिफल शुल्क की दर रु.60/- प्रति ब.ली. को वर्ष 2021-22 में यथावत रखा जाता है।

2.5 <u>माडल शॉप्स</u>

2.5.1 मॉडल शॉप्स की लाइसेंस फीसः-

मॉडल शॉप्स की वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस वर्ष 2020-21 की वार्षिक लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये निर्धारित की जाएगी। इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रूपया 5,000/- के गुणक में नहीं पायी जाती है तो उसे बढ़ाकर रूपया 5,000/- के अगले स्तर पर राउण्ड ऑफ करके निर्धारित किया जायेगा। गतवर्ष नवीनीकृत माडल शाप्स की लाइसेंस फीस निर्धारण में यह प्रतिबंध था कि नवीनीकरण हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस संबंधित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रास्थिति, निकाय के लिये नवसृजित माडल शाप हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस से कम नहीं होगी। उक्त प्रतिबंध से लाइसेंस फीस अधिक निर्धारित होने के कारण व्यवस्थापन में कठिनाई उत्पन्न हुई। अतः उपरोक्त प्राविधान को समाप्त किया जाता है।

2.5.2 प्रीमियम रिटेल वेण्ड

(1) प्रीमियम रिटेल वेण्ड का नवीनीकरण

वर्ष 2020-21 में व्यवस्थित प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुज्ञापनों का वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस पर नवीनीकरण किया जाएगा। नवीनीकरण हेतु प्रासेसिंग फीस एवं नवीनीकरण फीस जमा करके इच्छुक अनुज्ञापियों द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी में प्रस्तुत किये जायेंगे। लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर 7 कार्यदिवस के अंदर निर्णय लेते हुये उपयुक्त पाये जाने पर अनुज्ञापी को लाइसेंस फीस जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। प्रासेसिंग फीस एवं नवीनीकरण फीस विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के समतुल्य होगी।

(2) लाइसेंस फीस

वर्ष 2020-21 में प्रीमियम रिटेल वेण्ड हेतु रूपया बारह लाख लाइसेंस फीस निर्धारित थी जिसे वर्ष 2021-22 में यथावत रखा जाता है।

(3) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर वोदका एवं रम 700 रूपये या अधिक एम.आर.पी. की ब्राण्ड और बीयर के 160 रूपये प्रति 500 एम.एल. केन के एम.आर.पी. या समतुल्य ब्राण्ड की बिक्री का प्राविधान है। इस श्रेणी की अन्य धारिताओं की अनुमन्यता के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वोदका एवं रम की प्रति बोतल एवं बीयर की प्रति केन निर्धारित दरों पर जो ब्राण्ड अनुमन्य हैं उन ब्राण्डों की सभी धारितायें बिक्री के लिये अनुमन्य होंगी। प्रीमियम रिटेल वेण्ड हेतु अनुमन्य अन्य श्रेणियों की मदिरा की समस्त धारिताओं की बिक्री भी अनुमन्य होगी। उक्त के अतिरिक्त प्रीमियम रिटेल वेण्ड पर बिक्री हेतु अनुमन्य बीयर की न्यूनतम एम.आर.पी. रूपया 140/- प्रति 500 एम.एल. से निर्धारित होगी।

(4) वर्ष 2021-22 में निम्न प्राविधान किया जाता है:-

(i) समस्त प्रकार के कम तीव्रता के मादक पेय(एल.ए.बी.) की बिक्री भी प्रीमियम रिटेल वेण्ड में अनुमन्य होगी।

(ii) हवाई अड्डों पर भी प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुमन्य होंगे।

(iii) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर पृथक कक्ष में केवल वाइन टेस्टिंग अनुमन्य होगी और टेस्टिंग कक्ष में विक्रय प्रतिबंधित होगा।

(iv) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर मदिरा सेवन संबंधी एक्सेसरीज़ जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेंगी, की बिक्री भी अनुमन्य होगी।

2.6 विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप में त्रैमासिक उठान की अनिवार्यता

2.6.1 विदेशी मदिरा, बीयर दुकानों एवं माडल शाप्स हेतु वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 के संगत त्रैमासों के राजस्व के समतुल्य निकासी की अनिवार्यता है। लाकडाउन के दृष्टिगत माह अप्रैल 2020 में सभी फुटकर दुकानें बन्द रहने के कारण प्रथम त्रैमास के संगत समतुल्य राजस्व के

http://shasanadesh.up.gov.in

आगणन में माह अप्रैल 2020 के स्थान पर माह अप्रैल 2019 के राजस्व को सम्मिलित किया जाएगा। माह अप्रैल 2019 में दुकान का संचालन न होने की स्थिति में प्रथम त्रैमास की शेष अवधि के आधार पर गणना की जायेगी। यदि कोई विदेशी मदिरा, बीयर दुकान एवं माडल शाप वर्ष 2020-21 में मध्य सत्र में व्यवस्थित हुयी हो तब वर्ष 2020-21 की संचालन अवधि में ली गयी निकासी से तुलना की जायेगी।

2.6.2 बीयर दुकानों को वर्ष 2020-21 में त्रैमासिक उठान की अनिवार्यता से छूट

वर्ष 2020-21 में व्यवस्थित बीयर की फुटकर दुकानों को वर्ष 2020-21 के तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास में गत वर्ष के संगत त्रैमास में दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व के समतुल्य निकासी लिये जाने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाती है।

2.6.3 वर्ष 2020-21 में व्यवस्थित माडल शाप को वर्ष 2020-21 के तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास में गत वर्ष के संगत त्रैमास में दुकान पर ली गयी बीयर की निकासी में सन्नहित राजस्व के समतुल्य निकासी लिये जाने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाती है।

2.6.4 वर्ष 2020-21 में माडल शाप की त्रैमास की उठान अनिवार्यता हेतु विदेशी मदिरा एवं बीयर का पृथक पृथक समतुल्य उठान का प्राविधान था। कोविड के कारण बीयर के उपभोग में आयी अप्रत्याशित कमी के दृष्टिगत विदेशी मदिरा एवं बीयर के पृथक-पृथक समतुल्य राजस्व उठान की अनिवार्यता को समाप्त करते हुये बीयर एवं विदेशी मदिरा के कुल समतुल्य राजस्व उठान की अनिवार्यता की जाती है।

2.6.5 विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप पर वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में गत वित्तीय वर्ष के संगत त्रैमास में ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व के समतुल्य निकासी लिया जाना अनिवार्य है। उक्त प्राविधान का पालन न किये जाने की स्थिति में अगले त्रैमास की निकासी रोक दी जायेगी और संबंधित त्रैमास के बकाया राजस्व के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने एवं उक्त प्राविधान का पालन करने में विलम्ब के लिये निर्धारित प्रशमन धनराशि जमा करने पर अगले त्रैमास में निकासी की अनुमति दी जायेगी और अगले त्रैमास हेतु निर्धारित राजस्व के समतुल्य निकासी एवं पिछले त्रैमास के बकाया राजस्व के समतुल्य निकासी अनुज्ञापी द्वारा ली जा सकेगी। किसी त्रैमास तक निर्धारित राजस्व के समतुल्य निकासी ले लिये जाने पर पूर्व में जमा अतिरिक्त प्रतिभूति वापस कर दी जायेगी। यदि उपरोक्तानुसार दुकान पर वार्षिक निर्धारित राजस्व के समतुल्य निकासी अनुज्ञापी द्वारा ले ली जायेगी तब उसके द्वारा जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति उसे वापस कर दी जायेगी। वित्तीय वर्ष के अंत तक यदि दुकान पर वार्षिक निर्धारित राजस्व के समतुल्य निकासी लेने में अनुज्ञापी विफल रहता है तब उसके द्वारा जमा की गयी समस्त अतिरिक्त प्रतिभूति एवं प्रतिभूति में बकाया राजस्व का समायोजन किया जायेगा और शेष धनराशि वापस की जायेगी। यदि उक्त समायोजन के पश्चात भी राजस्व का बकाया रहता है तब इसकी नियमानुसार वसूली की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.7 **<u>समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की आपूर्ति</u>**

2.7.1 वर्ष 2020-21 में समुद्रपार आयातित मदिरा हेतु निम्न व्यवस्था थी:-

(i) समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की प्रदेश में आपूर्ति समुद्रपार उत्पादक या ब्राण्ड ओनर स्वयं या उनके द्वारा अधिकृत प्रमुख आयातक (Principal Importer), अधिकृत कस्टम बाण्ड वेयर हाउस द्वारा किये जा सकेंगे। एक उत्पादक या ब्राण्ड ओनर प्रत्येक ब्राण्ड हेतु आपूर्तिकर्ता इकाइयों को अधिकृत कर सकेगा जिनका ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य होगा।

पंजीकरण के समय आवेदक द्वारा निम्न सूचना उपलब्ध करायी जायेगीः-

(1) नाम व पता

(2) ब्राण्ड ओनर की आयात हेतु अनुमति/प्राधिकार पत्र

(3) ब्राण्ड के नाम जिनके आयात हेतु अधिकृत है

(4) प्रोसेसिंग फीस रु.10,000/- ऑनलाइन जमा की जायेगी

(ii) प्रदेश में आयातित की जाने वाली बी.आई.ओ. (बॉटल्ड इन ओरिजिन) मदिरा संबंधी प्रत्येक बिल आफ इण्ट्री को अपलोड करना होगा। पंजीकरण एक वित्तीय वर्ष के लिये होगा जो आगामी वर्ष में तत्समय की शर्तो, नीति के अनुरूप नवीनीकृत किया जा सकेगा।

(iii) एफ.एल.-2डी अनुज्ञापन धारक द्वारा, उत्तर प्रदेश में उपरोक्त पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से ही समुद्रपार आयातित मदिरा प्राप्त की जा सकेगी। एफ.एल.-2डी धारक उन्हीं ब्राण्डों के इण्डेण्ट प्रस्तुत कर सकेंगे जिनके लिये आपूर्तिकर्ता पंजीकृत होगा।

(iv) आयात परमिट जिला आबकारी अधिकारी द्वारा 03 कार्य दिवस में निर्गत करने तथा विलम्ब की दशा में उप आबकारी आयुक्त, प्रभार द्वारा अगले 03 कार्य दिवस में निर्गत करने की व्यवस्था निर्धारित की जाती है।

2.7.2 वर्ष 2020-21 में प्रदेश के 18 कस्टम बाण्ड पंजीकृत किये गये। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत थोक आपूर्ति स्तर पर दो प्रकार के अनुज्ञापन एफ.एल.-2डी और एफ.एल.-2/एफ.एल.-2बी क्रियाशील हैं। ईज़ आफ डूइंग बिजिनेस को और अधिक सुगम बनाने हेतु एफ.एल.-2डी अनुज्ञापन को समाप्त करते हुये कस्टम बाण्ड से सीधे एफ.एल.-2/एफ.एल.-2बी को आपूर्ति किया जाएगा। राज्य में समुद्रपार आयातित मदिरा की बढ़ती मांग के कारण इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं इसके मिलावटी व अवैध व्यापार तथा तस्करी को रोकने के उद्देश्य से प्रदेश के बाहर निर्यात को नियंत्रित किया जाएगा।

2.7.3 वर्ष 2021-22 में समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर**,** वाइन एवं एल.ए.बी. की आपूर्ति एफ.एल.-2डी थोक अनुज्ञापनों के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था में संशोधन करते हुये निम्नलिखित व्यवस्था लागू की जाती है:-

(1) उत्तर प्रदेश में स्थित ऐसे समस्त कस्टम बाण्ड वेयर हाउस को प्रदेश/अन्य प्रदेशों में समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर**,** वाइन एवं एल.ए.बी. की आपूर्ति करने के लिये उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) प्रत्येक कस्टम बाण्ड वेयर हाउस को वार्षिक लाइसेंस फीस रूपया 4.00 लाख तथा प्रतिभूति रूपया 40,000/ जमा करना होगा।

(3) एफ.एल.-2डी अनुज्ञापन समाप्त होंगे। उत्तर प्रदेश में समुद्र पार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की आपूर्ति ऐसे कस्टम बाण्ड वेयर हाउस से ही की जा सकेगी जो उत्तर प्रदेश में स्थित हों एवं पंजीकृत हों एवं उक्त ब्राण्ड की आपूर्ति हेतु अधिकृत हों।

(4) उत्तर प्रदेश में स्थित कस्टम बाण्ड वेयर हाउस द्वारा अन्य प्रदेशों को समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की आपूर्ति हेतु संबंधित जिला आबकारी अधिकारी से आनलाइन निर्यात परमिट अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा तथा संबंधित मदिरा की निकासी (निर्यात) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल द्वारा निर्गत परिवहन पास के माध्यम से की जायेगी। अन्य प्रदेशों की आपूर्ति (कस्टम बाण्ड से अन्य कस्टम बाण्ड की आपूर्ति को छोड़कर) पर रूपया 300/- प्रति बल्क लीटर परमिट फीस देय होगी।

(5) उत्तर प्रदेश में स्थित कस्टम बाण्ड वेयर हाउस जिन्हें प्रदेश में आपूर्ति हेतु अनुमति प्रदत्त है द्वारा प्रदेश के समस्त एफ.एल.-2, एफ.एल.-2ए एवं एफ.एल.-2बी को निकासी दी जायेगी। इस हेतु आनलाइन आयात परमिट जिला आबकारी अधिकारी द्वारा 03 कार्य दिवस में निर्गत किया जाएगा तथा विलम्ब की दशा में उप आबकारी आयुक्त, प्रभार द्वारा अगले 03 कार्य दिवस में निर्गत किया जाएगा

(6) जिले में स्थित समस्त फुटकर अनुज्ञापियों/बार/रेस्टोरेंट, क्लब एवं होटल बार अनुज्ञापन विदेशों से आयातित मदिरा की निकासी जिला के एफ.एल.-2/2बी से प्राप्त करेंगे। एफ.एल.-9/9ए अनुज्ञापनों को विदेशों से आयातित मदिरा की आपूर्ति पूर्व की भाँति एफ.एल.-2ए अनुज्ञापन से की जायेगी।

2.7.4 समुद्र पार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की एम.आर.पी. एवं परमिट फीस

वर्ष 2020-21 में परमिट फीस का निर्धारण एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य की तीन श्रेणी में प्रति बल्क लीटर निर्धारित एकमुश्त धनराशि के आधार पर किया जाता था। उक्त परमिट फीस का निर्धारण एकमुश्त धनराशि के स्थान पर विदेशी मदिरा की भाँति एक्स कस्टम मूल्य के आधार पर परिवर्तनीय करने का प्राविधान किया जाता है। थोक एवं फुटकर मार्जिन में भी वृद्धि की जाती है।

वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश के अनुज्ञापनों को बिक्री हेतु अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा की परमिट फीस एवं एम.आर.पी.का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

(1) एम.आर.पी.

सी.आई.एफ. मूल्य प्रति बोतल (750 एम.एल.)	लाभांश	कस्टम ड्यूटी	एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य	परमिट फीस	थोक विक्रेता का मार्जिन	फुटकर विक्रेता का मार्जिन	अधिकतम खुदरा मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
आयातक	आयातक द्वारा	सी.आई.एफ. मूल्य का	1+2	तालिका के	रु.5.00+ एक्स	रु.90+ एक्स	3+4+5+6+7 का योग (जिसे रु.10 के अगले

http://shasanadesh.up.gov.in

द्वारा घोषित	घोषित	150 प्रतिशत		अनुसार	कस्टम बाण्ड मूल्य का 3.00%	कस्टम बाण्ड मूल्य का 10.00%	गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त परमिट फीस के रूप में लिया जायेगा।)

घोषित सी.आई.एफ. मूल्य पंजीकरण के विगत 3 माह के औसत के आधार पर होगा। स्पेशल फीस एवं ट्रेक ऐण्ड ट्रेस क्रियान्वयन फीस एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य में सम्मिलित होगा।

(2) परमिट फीस

एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य प्रति बोतल (750 एम.एल.)	**वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित परमिट फीस**
रु. 0 से 600 तक	रु.400+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 40 प्रतिशत
रु.600 से अधिक व 1500 तक	रु.650+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 30 प्रतिशत
रु.1500 से अधिक व 3000 तक	रु.1000+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 20 प्रतिशत
रु.3000 से अधिक	रु.1500+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 10 प्रतिशत

(3) नेपाल निर्मित बीयर एवं भूटान निर्मित मदिरा एवं बीयर के आयात को देश के अन्य राज्यों की भाँति आयात/निर्यात माना जाएगा।

2.8 <u>भांग:-</u>

2.8.1 लाइसेंस फीस

भांग की फुटकर दुकान की वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस वर्ष 2020-21 की वार्षिक लाइसेंस फीस के समान यथावत रखा जाता है।

2.8.2 भांग की निर्यात फीसः-

वर्ष 2020-21 हेतु भांग के निर्यात पर रुपये 5/- प्रति किलोग्राम की दर से निर्यात फीस निर्धारित है। वर्ष 2021-22 हेतु निर्यात फीस यथावत रखा जाता है।

2.8.3 भांग की थोक आपूर्तिः-

वर्ष 2020-21 में भांग की थोक आपूर्ति के संबंध में की गयी व्यवस्था को वर्ष 2021-22 में यथावत रखा जाता है।

2.9 <u>देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों और माडल शॉप का सृजनः-</u>

2.9.1 वर्ष 2021-22 में, वर्ष 2020-21 में व्यवस्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा,बीयर, माडल शॉप एवं भांग की श्रेणीवार कुल दुकानों की संख्या के 02 प्रतिशत तक के समतुल्य प्रत्येक श्रेणी में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ.प्र. को दिया जाता है। इससे अधिक की आवश्यकता पड़ने पर शासन की अनुमति से नई दुकानों का सृजन किया जा सकेगा।

2.9.2 नवसृजित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर दुकानों एवं माडल शाप्स का न्यूनतम एम.जी.क्यू./बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीसः-

2.9.2.1 वर्ष 2021-22 हेतु नवसृजित देशी मदिरा की दुकानों का न्यूनतम एम.जी.क्यू. एवं नवसृजित विदेशी मदिरा, बीयर दुकानों की न्यूनतम लाइसेंस फीस वर्ष 2020-21 की भॉति निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	**नवसृजित दुकान की प्रास्थिति**	**न्यूनतम एम.जी.क्यू. (36प्रतिशत वी./वी.) (ब.ली.में)**	**न्यूनतम लाइसेंस फीस (रुपये में)**	
		देशी मदिरा	**विदेशी मदिरा**	**बीयर**
1.	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि तक	26,600	13,60,000	2,60,000
2.	नगर पालिका व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि तक	19,000	4,65,000	1,40,000
3.	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि.मी. की परिधि तक	11,500	2,25,000	85,000
4.	ग्रामीण	6,600	1,20,000	75,000

2.9.2.2 नवसृजित मॉडल शॉप की लाइसेंस फीसः-

वर्ष 2020-21 में नवसृजित मॉडल शाप्स की लाइसेंस फीस का निर्धारण ऐसे नगर की विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की तत्समय निर्धारित/व्यवस्थित सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस या निर्धारित धनराशि जो अधिक हो निर्धारित किये जाने का प्राविधान था। उपरोक्त प्राविधान से नवसृजित दुकानों की लाइसेंस फीस बहुत अधिक निर्धारित होने के कारण व्यवस्थापन में कठिनाई उत्पन्न हुयी है। अतः उपरोक्त प्राविधान को समाप्त करते हुए वर्ष 2021-22 हेतु नवसृजित मॉडल शॉप्स की लाइसेंस फीस गतवर्ष से वृद्धि करते हुये निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र. सं.	**निकाय**	**लाइसेंस फीस (रूपये में)**
1.	नगर निगमों एवं ग्रेटर नोयडा सहित नोयडा के लिये	न्यूनतम रु.65.00 लाख।
2.	अन्य स्थानों पर स्थित मॉडल शॉप्स के लिये	न्यूनतम रूपये 22.00 लाख।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिभूति धनराशि विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की भॉति लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मॉडल शॉप्स पर मदिरा पान की सुविधा अनुमन्य करने के लिये वर्ष 2020-21 हेतु रु.2,00,000 प्रतिवर्ष या वर्ष के भाग के लिये निर्धारित है। वर्ष 2021-22 के लिये भी उक्त व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

2.10 <u>देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों और माडल शॉप का वर्ष 2021-22 हेतु नवीनीकरण:-</u>

2.10.1 वर्ष 2020-21 में कोविड से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण माह अप्रैल-20, मई-20 एवं जून-20 में फुटकर दुकानों में देशी मदिरा के एम.जी.क्यू. के अनिवार्य उठान एवं विदेशी मदिरा, बीयर एवं मॉडल शाप में गतवर्ष के त्रैमास के समतुल्य उठान की शर्तों में शिथिलता प्रदान की गई। अत: अप्रैल 2020 से जून 2020 के त्रैमास की अवधि का नवीनीकरण प्रक्रिया की अर्हताओं के निर्धारण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

दुकानों का वर्ष 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया जाएगा:-

(1) अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2020-21 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

(3) देशी मदिरा एवं भांग की ऐसी दुकानें जिनके द्वारा माह जुलाई-2020 से माह मार्च-2021 तक की अवधि हेतु निर्धारित कुल एम.जी.क्यू. से अधिक की निकासी (बकाया निकासी जिसके समतुल्य कुल प्रतिफल शुल्क जमा किया गया हो, को सम्मिलित करते हुये) ली जायेगी, विदेशी मदिरा की ऐसी दुकाने जिनके द्वारा माह जुलाई, 2020 से माह मार्च, 2021 तक की अवधि हेतु निर्धारित कुल राजस्व के समतुल्य की निकासी से अधिक निकासी ली जायेगी और ऐसी माडल शॉप, जिनके द्वारा माह जुलाई, 2020 से माह मार्च, 2021 तक की अवधि हेतु मात्र विदेशी मदिरा से संबंधित निर्धारित कुल राजस्व के समतुल्य की निकासी से अधिक निकासी ली जायेगी, वर्ष 2021-22 हेतु नवीनीकरण के लिये अंतिम रूप से अर्ह होंगी। बीयर की वर्ष 2020-21 में व्यवस्थित समस्त दुकानें नवीनीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अर्ह होंगी।

(4) नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-3) पर भी देना होगा।

(5) अपनी दुकान को वर्ष 2020-21 हेतु अनुमोदित चौहद्दी पर संचालित करेगा।

(6) वर्तमान अनुज्ञापन को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से दिनांक 31 मार्च, 2021 तक संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे गम्भीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो।

2.10.2 देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों और माडल शॉप के वर्ष 2021-22 हेतु नवीनीकरण की प्रक्रिया

(क) सर्वप्रथम संबंधित जिला के जिला कलेक्टर, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में और जिला की वेबसाइट पर संक्षिप्त विज्ञप्ति जिसका सामान्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा, प्रकाशित कराकर जिला की व्यवस्थित दुकानों के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन मांगे जायेंगे। विज्ञप्ति में यह अंकित होगा कि दुकानों से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, जिला की वेबसाइट, ई-लाटरी पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(ख) दुकानों के वर्ष 2020-21 के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापियों द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा, उपरोक्त वर्णित शपथ-पत्र जिसका प्रारूप **संलग्नक-3** है, अपलोड किया जायेगा तथा प्रोसेसिंग फीस की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की प्रासेसिंग फीस वर्ष 2020-21 की भॅाति निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः-

क्र.सं.	**फुटकर दुकान का प्रकार**	**आवेदन की प्रोसेसिंग फीस (रुपये में)**
1.	देशी मदिरा	20,000
2.	विदेशी मदिरा	20,000
3.	बीयर	20,000
4.	मॉडल शॉप्स	30,000
5.	भांग	6,000

आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 03 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत धनराशि 03 कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि 15 मार्च, 2021 तक अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा 20 मार्च, 2021 तक जमा की जा सकेगी।

(ग) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति के अंतर की धनराशि समयान्तर्गत न जमा करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2020-21 की प्रतिभूति का 15 प्रतिशत एवं वर्ष 2021-22 की नवीनीकरण फीस व बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस (यदि जमा किया गया हो) राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी दुकान का वर्ष 2021-22 हेतु नवीनीकरण संपन्न होने के पश्चात वर्ष 2020-21 के अनुज्ञापन की शर्तो के उल्लंघन अथवा अन्य किसी अनियमितता से उस दुकान का अनुज्ञापन वर्ष 2020-21 निरस्त कर दिया जाता है तब उस दुकान के संबंध में वर्ष 2021-22 हेतु जमा बेसिक लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति का अंतर (यदि जमा किया गया हो) राज्य सरकार के पक्ष में जब्त नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2.10.3 नवीनीकरण फीसः-

वर्ष 2020-21 हेतु देशी मदिरा फुटकर दुकानों के नवीनीकरण फीस में वृद्धि करते हुये एवं विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शॉप एवं भांग की दुकानों की गत वर्ष की निर्धारित नवीनीकरण फीस को यथावत रखते हुये वर्ष 2021-22 के लिए निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र.सं.	निकाय	नवीनीकरण फीस की दर प्रति दुकान (रुपये में)				
		देशी मदिरा	विदेशी मदिरा	बीयर	मॉडल शॉप्स	भांग
1.	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	95,000	95,000	70,000	1,00,000	6,000
2.	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	85,000	85,000	60,000	90,000	6,000
3.	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	65,000	65,000	40,000	65,000	6,000
4.	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	35,000	35,000	20,000	50,000	6,000

2.11 ई-लाटरी द्वारा दुकानों का व्यवस्थापन

2.11.1 (क) नवीनीकरण से अवशेष देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भॉग की फुटकर दुकानों तथा मॉडल शॉप का वर्ष 2021-22 हेतु व्यस्थापन ई-लाटरी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। प्रथम चरण की ई-लाटरी (नवीनीकरण से अवशेष समस्त दुकानों हेतु) वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू./लाइसेंस फीस पर होगी। वर्ष 2020-21 में ई-लाटरी के प्रथम चरण में कोई दुकान व्यवस्थित न होने पर उसे दो बराबर भागों में विभक्त कर दोनों दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी के अगले चरण में कराये जाने का प्राविधान था। उक्त के क्रम में व्यवस्थापन एवं उसके पश्चात अवस्थिति निर्धारण में उत्पन्न कठिनाइयों के दृष्टिगत उक्त प्राविधान को समाप्त किया जाता है।

राजस्व एवं व्यवस्थापन हित में प्रथम चरण की ई-लाटरी के पश्चात यथावश्यकता तदनुसार प्रत्येक चरण हेतु ई-लाटरी/ई-टेण्डर एवं एम.जी.क्यू./लाइसेंस फीस निर्धारण के संबंध में पृथक शासनादेश निर्गत किया जाएगा।

गत वर्ष की भॉति वर्ष 2021-22 में लाटरी में किसी आवेदक को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं मॉडल शॉप को मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी, प्रतिबंध यह होगा कि यदि किसी को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में वर्ष 2020-21 में दो अथवा इससे अधिक दुकानें आवंटित अथवा नवीनीकृत थीं तब उनका वर्ष 2021-22 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकता है। अग्रेतर प्रतिबंध यह होगा कि यदि आवेदक द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में दो या दो से अधिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दुकानों का नवीनीकरण करा लिया गया है तो वह अवशेष रिक्त दुकानों के चयन हेतु ई-लाटरी/ई-टेण्डर हेतु अर्ह नहीं होगा। ऐसे आवेदक को प्रदेश में कोई अन्य दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

चयनोपरांत चयनित आवेदक द्वारा देय बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि एवं अन्य देय धनराशियॉ भी ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा। पूर्ण रुपेण देयतायें जमा करने पर धरोहर धनराशि का मूल बैंक ड्राफ्ट अनुज्ञापी को 15 दिन के अन्दर निर्धारित प्रक्रियानुसार वापस कर दिया जाएगा।

ई-लाटरी का प्रत्येक चरण सम्पूर्ण प्रदेश में एक ही दिन कराया जाएगा। ई-लाटरी प्रणाली से दुकानों का व्यवस्थापन गत वर्ष की भांति एन.आई.सी. के माध्यम से कराया जाएगा। ई-लाटरी से संबंधित सुसंगत सूचना को आबकारी विभाग की वेबसाइट के अतिरिक्त प्रत्येक जिले की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

(ख) व्यवस्थापन के चतुर्थ चरण के पश्चात कुल अव्यवस्थित एम.जी.क्यू. अथवा लाइसेंस फीस के व्यवस्थापन हेतु जिले में आवश्यक नयी दुकानों का सृजन कर कुल अव्यवस्थित एम.जी.क्यू. अथवा लाइसेंस फीस को व्यवस्थित कराने हेतु अग्रतर चरण का व्यवस्थापन कराया जायेगा।

(ग) नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।

(घ) दुकानों को दैनिक आधार पर चलाया जाना:-

फुटकर दुकानों के दैनिक आधार पर संचालन के संबंध में वर्ष 2020-21 की व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

(ङ) दुकानों का मध्य सत्र में व्यवस्थापन/पुनर्व्यवस्थापन

दुकानों के मध्य सत्र में पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में 2020-21 में लागू व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

(च) प्रतिभूति की धनराशि/प्रतिभूति की धनराशि के अंतर को जमा किये जाने की प्रक्रियाः-

प्रतिभूति/ प्रतिभूति के अंतर को जमा करने की वर्ष 2020-21 की व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

(छ) अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण:-

(1) वर्ष 2021-22 में मदिरा की फुटकर दुकानों के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड, हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र तथा आयकर रिटर्न का विवरण अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

(2) देशी मदिरा की दुकान के लिये दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस के योग की धनराशि के 1/6 भाग के समतुल्य तथा विदेशी मदिरा, बीयर और भांग की फुटकर दुकानों तथा मॉडल शॉप्स के लिये दुकान की लाइसेंस फीस की धनराशि से अन्यून धनराशि का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (मूलरुप में) वांछित होगा तथा चयन होने की दशा में इसे मूल रूप में प्राप्त करने के उपरान्त ही अनुज्ञापन निर्गत किया जाएगा। दिनांक 01.01.2020 के पश्चात निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। यदि हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति किसी अन्य जिला के आबकारी कार्यालय में जमा है तब इसकी प्रमाणित छाया प्रति, जिसे मूल प्रति प्राप्तकर्ता जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

(3) आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शपथ-पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(4) वर्ष 2021-22 हेतु नवीनीकृत होने वाली दुकानों के संबंध में वर्ष 2020-21 हेतु व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये हैसियत प्रमाण-पत्र, वैधता समाप्त न हो तो मान्य होंगे। वैधता समाप्त होने की स्थिति में नया हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.12 <u>थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) का नवीनीकरण</u>

2.12.1 वर्ष 2020-21 में स्वीकृत थोक अनुज्ञापनों के इच्छुक अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष 2021-22 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तो एवं प्रतिबंधों से सहमति की दशा में अपने थोक अनुज्ञापनों का वर्ष 2021-22 हेतु नवीनीकरण गत वर्ष की भॉति अनुमन्य किया जाता है।

वर्तमान वर्ष 2020-21 में स्वीकृत थोक अनुज्ञापनों को निम्नांकित शर्तों के अधीन 2021-22 हेतु नवीनीकृत किया जाता हैः-

(1) अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2020-21 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

(3) अनुज्ञापी के विरुद्ध कोई गम्भीर अनियमितता वर्ष 2020-21 में न पायी गयी हो।

(4) अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ-पत्र भी देना होगा कि वह वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित समस्त देयतायें देने को तैयार है तथा उसके अनुज्ञापन के वर्तमान परिसर, स्थान की चौहद्दी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उक्त थोक अनुज्ञापन के लिये आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है। वर्तमान अनुज्ञापन को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से दिनांक 31 मार्च, 2021 तक संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे गम्भीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो। अनुज्ञापन की शर्तो का पालन न करने अथवा शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2020-21 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2021-22 की नवीनीकरण फीस एवं लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्षमें जब्त कर ली जायेगी। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2020-21 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।

गतवर्ष की भांति थोक अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु संबंधित उप आबकारी आयुक्त प्रभार तथा उसके अनुमोदन हेतु संयुक्त आबकारी आयुक्त संबंधित जोन को प्रधिकृत किया जाता है।

2.12.2 देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर के थोक अनुज्ञापनों एवं बाण्ड अनुज्ञापनों के नवीनीकरण की प्रक्रियाः-

(1) सर्वप्रथम आबकारी आयुक्त द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में और वेबसाइट पर संक्षिप्त विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर प्रदेश में व्यवस्थित देशी मदिरा,विदेशी मदिरा, और बीयर के थोक अनुज्ञापनों एवं बाण्ड के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन मांगे जायेंगे। विज्ञप्ति में यह अंकित होगा कि उक्त अनुज्ञापनों से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण आबकारी आयुक्त कार्यालय,एवं विभागीय पोर्टल से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(2) थोक अनुज्ञापनों अथवा बाण्ड अनुज्ञापनों के वर्ष 2020-21 के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा। उपरोक्त वर्णित शपथ-पत्र (जिसका प्रारूप **<u>संलग्नक-4</u>** है) एवं संबंधित जिला आबकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड किया जायेगा तथा नवीनीकरण शुल्क की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 07 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को संबंधित अनुज्ञापन की वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस धनराशि 03 कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा स्वीकृति की तिथि से 15 दिन तक जमा की जा सकेगी।

(3) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति के अंतर की धनराशि समयांतर्गत जमा न करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2020-21 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2021-22 की नवीनीकरण फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

2.12.3 थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-2बी) की प्रासेसिंग फीस

गत वर्ष की भॉति 2021-22 हेतु थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-2बी) हेतु आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस रुपया 1,00,000/- निर्धारित की जाती है।

2.12.4 थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की नवीनीकरण फीस

गतवर्ष की भॉति वर्ष 2021-22 हेतु थोक अनुज्ञापनों(सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की नवीनीकरण फीस रूपया 90,000/- निर्धारित की जाती है।

2.12.5 थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की स्वीकृति

वर्ष 2021-22 हेतु थोक अनुज्ञापनों की स्वीकृति संगत नियमावली के प्राविधानों के अनुसार अर्ह आवेदकों के पक्ष में की जायेगी।

गत वर्ष की भॉति आवेदक को वैध हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। थोक अनुज्ञापन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने अथवा वापस लिये जाने एवं इस संबंध में जमा की गयी धनराशियों की वापसी के अनुरोध मान्य नहीं होंगे।

2.12.6 थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की लाइसेंस फीस और प्रतिभूति

थोक अनुज्ञापनों की वर्ष 2020-21 की लाइसेंस फीस में वृद्धि करते हुये 2021-22 हेतु थोक अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	थोक अनुज्ञापन का प्रकार	जिला का नाम जहॉ स्वीकृत होगा।	वर्ष 2021-22 हेतु अनुज्ञापन शुल्क (रुपये में)
1	सी.एल.-2	चित्रकूट, बागपत, बलरामपुर, हाथरस, शामली, कौशाम्बी	8,11,000
2	सी.एल.-2	अमेठी, श्रावस्ती	11,55,000
3	सी.एल.-2	अन्य जिला	23,11,000
4	एफ.एल.-2	वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर नगर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, आगरा,	30,25,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मथुरा	
5	एफ.एल.-2	गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, आजमगढ, देवरिया, कुशीनगर, बिजनौर, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद।	23,60,000
6	एफ.एल.-2	उपरोक्त जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष जिला	17,60,000
7	एफ.एल.-2बी	कौशाम्बी, श्रावस्ती, पीलीभीत, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, अम्बेडकरनगर, बहराइच, बलरामपुर, एटा, हाथरस, कन्नौज, औरैया, रामपुर, संभल, शाहजहॉपुर एवं शामली।	4,75,000
8	एफ.एल.-2बी	सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, संतरविदासनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, संतकबीरनगर, अमेठी, हरदोई, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, बदायूँ, अमरोहा, बागपत, बांदा, जालौन, ललितपुर।	8,35,000
9	एफ.एल.-2बी	उपरोक्त जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष जिला	12,00,000

प्रतिभूति धनराशि लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

2.12.7 सी.एल.-2 एफ.एल.-2 एवं एफ. एल.-2बी अनुज्ञापनों से अन्य जिला की आपूर्ति हेतु अतिरिक्त लाइसेंस फीसः-

देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये अन्य जिला के सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ. एल.-2 बी अनुज्ञापी से आपूर्ति के संबंध में वर्ष 2020-21 में की गयी व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

2.13 <u>ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन</u>

2.13.1 ब्रांड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन/नवीनीकरण के संबंध में वर्ष 2020-21 में लागू व्यवस्था को निम्न संशोधनों के साथ यथावत रखा जाता है:-

(1) ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन एक वर्ष के लिये किया जाता है। ईज आफ डूइंग बिजिनेस को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2021-22 से ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबिल अनुमोदन 3 वर्ष हेतु कराने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। संपूर्ण अवधि के लिये देय ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन फीस एकमुश्त जमा करनी होगी। राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा आदेशित परिवर्तनों को छोड़कर लेबिल में किसी अन्य परिवर्तन की स्थिति में उसे नया लेबिल माना जायेगा एवं लेबिल का सशुल्क पुनः अनुमोदन कराना होगा। ऐसे परिवर्तनों के प्रकरणों में पूर्व से जमा फीस की वापसी नहीं की जायेगी ।

(2) एक ही पैतृक आसवनी के प्रदेश में कई बाण्ड अनुज्ञापनों के प्रकरणों में ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबिल अनुमोदन फीस एक बार ही ली जायेगी तथा अधिकतम खुदरा मूल्य का निर्धारण भी एक बार ही किया जायेगा।

(3) नवीनीकरण की स्थिति में भौतिक रूप से लेबुल जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) वर्ष 2018-19 में प्रदेश के बाहर निर्यातित मदिरा की लेबिल अनुमोदन फीस विदेशी मदिरा हेतु रूपया 60,000/-, बीयर हेतु रूपया 35,000/- एवं एल.ए.बी. हेतु रूपया 5,000/- निर्धारित थी। शासनादेश संख्या-42/2018/1825 ई-2/तेरह-2018-46/2017टीसी, दिनांक 11.06.2018 के अंतर्गत भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई.एम.एफ.एल.)/ बीयर/एल.ए.बी. के उत्पादन व निर्यात में सुगमता लाने हेतु लेबुलों की संख्या कम करने तथा इससे होने वाली क्षति को न्यून करने के दृष्टिगत देश/ प्रदेश के बाहर भेजी जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा(आई.एम.एफ.एल.) के लेबुल की तत्समय निर्धारित फीस रूपया 60,000/- को बढ़ाकर रूपया 2,50,000/-, बीयर के लेबुल अनुमोदन फीस रूपया 35,000/- से बढ़ाकर रूपया 1,50,000/- तथा एल.ए.बी. के लेबुल अनुमोदन की फीस रूपया 5,000/- को बढ़ाकर रूपया 20,000/- किया गया था। संबंधित राज्य/देश के निर्देशों के अनुरूप लेबुल पर अतिरिक्त सूचनायें जैसे राज्य का नाम आदि अंकित करने की आवश्यकता होती है। उपरोक्त बढ़ी हुई दर प्रत्येक लेबुल एवं प्रत्येक राज्य के लेबुल को पृथक मान कर फीस निर्धारित करने के कारण निर्यातित मदिरा की लेबुल अनुमोदन फीस अत्यधिक हो जाती है जिसके कारण प्रदेश से हो रहे सीमित निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रदेश से निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तर प्रदेश से बाहर अन्य प्रदेशों अथवा देश से बाहर निर्यात की जाने वाली मदिरा के किसी ब्राण्ड की समस्त धारिताओं की समस्त लेबुलों का अनुमोदन एकमुश्त अनुमोदन फीस लेकर किया जाएगा। ऐसे अनुमोदित लेबुल सभी प्रदेशों/देशों के लिये मान्य होंगे। सहायक आबकारी आयुक्त आसवनी के अनुमोदन से मदिरा उत्पादक, संबंधित आयातक प्रदेशों अथवा देशों के प्राविधानों के अनुसार, आवश्यक अतिरिक्त लीजेण्ड उपरोक्तानुसार अनुमोदित लेबुल पर मुद्रित करा सकेंगे।

(5) ट्रेड मार्क पंजीकरण की अनिवार्यताः-

(i) गत वर्ष प्रदेश में ब्राण्ड पंजीकरण हेतु संबंधित ब्राण्ड के ट्रेडमार्क का पंजीकरण अनिवार्य किया गया। ट्रेडमार्क पंजीकरण की जटिल प्रक्रिया एवं अधिक समय लगने के दृष्टिगत ट्रेडमार्क पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र की पावती प्रस्तुत करने पर ब्राण्ड पंजीकरण अनुमन्य किया जाता है।

(ii) ट्रेडमार्क पंजीकरण के अतिरिक्त **WIPO** या अन्य समतुल्य पंजीकरण भी मान्य किया जाता है।

(iii) सामान्यतया एक ट्रेडमार्क के आधार पर एक ही ब्राण्ड पंजीकरण अनुमन्य किया जाएगा। एक ही ट्रेडमार्क के आधार पर एक से अधिक ब्राण्डों का एक ही श्रेणी में समान ई.डी.पी. के साथ ही पंजीकरण अनुमन्य होगा। एक ट्रेडमार्क पर एक से अधिक ब्राण्ड का पंजीकरण असमान ई.डी.पी. के साथ मदिरा की पृथक श्रेणियों में ही अनुमन्य होगा।

2.13.2 ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन फीस

वर्ष 2020-21 में अन्य देशों से आयातित मदिरा श्रेणी में वाइन एवं एल.ए.बी. की ब्राण्ड पंजीकरण फीस देश में निर्मित उसी श्रेणी की फीस से अधिक निर्धारित की गयी है जबकि विदेशी मदिरा एवं बीयर श्रेणी में ब्राण्ड पंजीकरण फीस समान है। भारत निर्मित विदेशी मदिरा में एल.ए.बी. की ब्राण्ड पंजीकरण फीस वाइन के समतुल्य किया जाता है। उक्त विसंगति को दूर करते हुये वर्ष 2021-22 हेतु ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन फीस निम्नानुसार निर्धारित किया जाता हैः-

क्र.सं.		**मदिरा का प्रकार**	**ब्राण्ड पंजीकरण फीस**	**लेबुल अनुमोदन फीस**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

			(रुपये में)	(रुपये में)
1.		देशी मदिरा	65,000	65,000
2.		**भारत निर्मित मदिरा**		
	क	विदेशी मदिरा	85,000	65,000
	ख	बीयर	50,000	40,000
	ग	वाइन	7,500	7,500
	घ	एल.ए.बी.	7,500	7,500
3.		**अन्य देशों से आयातित मदिरा**		
	क	विदेशी मदिरा	85,000	लेबुल अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
	ख	बीयर	50,000	
	ग	वाइन	7,500	
	घ	एल.ए.बी.	7,500	
4.		**अन्य देशों, प्रदेशों को निर्यातित मदिरा**		
	क	विदेशी मदिरा	ब्राण्ड पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है	5,00,000
	ख	बीयर		5,00,000
	ग	वाइन		1,00,000
	घ	एल.ए.बी.		5,00,000

ब्राण्ड एवं लेबुल के नवीनीकरण हेतु भी उपरोक्तानुसार फीस ली जाएगी।

2.14 <u>विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का आरोपण</u>

वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी की रोक-थाम हेतु राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु राजकोष के अतिरिक्त वित्त पोषण हेतु देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/एल.ए.बी./समुद्रपार आयातित मदिरा पर मदिरा के अधिकतम फुटकर मूल्य के ऊपर विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क अधिरोपित करते हुए अधिकतम फुटकर मूल्य का पुनर्निर्धारण किये जाने की शासनादेश संख्या:38/2020/770 ई-2/तेरह-2020-01/2020 दिनांक

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

06 मई, 2020 सपठित शासनादेश संख्या: 51/2020/1359 ई-2/तेरह-2020-01/2020 दिनांक 16 जून, 2020 द्वारा व्यवस्था लागू की गयी थी। कतिपय पड़ोसी राज्यों द्वारा उपरोक्त कोविड सेस को वापस ले लिया गया है अथवा दरों में कमी की गयी है। कतिपय श्रेणियों में विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की दरें अधिक होने से अधिकतम फुटकर मूल्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक होने से राजस्व कुप्रभावित होने की संभावना है। विशेष अतिरिक्त प्रतिफलशुल्क से वाइन, एल.ए.बी. एवं समुद्रपार आयातित मदिरा की दरों में अधिक वृद्धि होने के कारण इन श्रेणियों पर विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क में कमी की जाती है।

उक्त के क्रम में विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की दरों को निम्नांकित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार निर्धारित किया जाता है:-

देशी मदिरा

क्र.सं.	देशी मदिरा की तीव्रता	धारिता	विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	36 प्रतिशत वी/वी	200 एम.एल.	5/-
2	42.8 प्रतिशत वी/वी	200 एम.एल.	5/-

विदेशी मदिरा

क्र. सं.	विदेशी मदिरा की श्रेणी	बोतलों की धारिता (एम.एल. में)	विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	इकोनामी	180 एम.एल. तक	10/-
		180 एम.एल. से 500 एम.एल. तक	20/-
		500 एम.एल. से अधिक	30/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2	मीडियम	180 एम.एल. तक	10/-
		180 एम.एल. से 500 एम.एल. तक	20/-
		500 एम.एल. से अधिक	30/-
3	रेगुलर	180 एम.एल. तक	20/-
		180 एम.एल. से 500 एम0एल0 तक	30/-
		500 एम.एल. से अधिक	50/-
4	प्रीमियम	180 एम.एल. तक	20/-
		180 एम.एल. से 500 एम.एल. तक	30/-
		500 एम.एल. से अधिक	50/-
5	सुपर प्रीमियम	180 एम.एल. तक	30/-
		180 एम.एल. से 500 एम.एल. तक	50/-
		500 एम.एल. से अधिक	100/-
6	स्काच	180 एम.एल. तक	50/-
		180 एम.एल. से 500 एम.एल. तक	100/-
		500 एम.एल. से अधिक	150/-
7	समुद्रपार आयातित	180 एम.एल. तक	70/-
		180 एम.एल. से 500 एम.एल.	140/-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		तक	
		500 एम.एल. से अधिक	200/-

बीयर

क्र. सं.	**बीयर की श्रेणी**	**बोतलों/केनों की धारिता (एम.एल. में)**	**विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	स्ट्रांग/लैगर	500 एम.एल. तक	10/-
		500 एम.एल. से अधिक	20/-
		10 लीटर केग	200/-
		20 लीटर केग	400/-
		20 लीटर से अधिक केग	600/-
2	समुद्र पार आयातित	500 एम.एल. तक	10/-
		500 एम.एल. से अधिक	20/-
		10 लीटर केग	200/-
		20 लीटर केग	400/-
		20 लीटर से अधिक केग	600/-

वाइन/एल.ए.बी. (भारत निर्मित एवं समुद्र पार आयातित)

क्र. सं.	**मदिरा का प्रकार**	**बोतलों की धारिता (एम.एल. में)**	**विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)**
(1)	(2)	(3)	(4)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	वाइन	500 एम.एल. तक	10/-
		500 एम.एल. से अधिक	20/-
2	एल.ए.बी.	500 एम.एल. तक	10/-
		500 एम.एल. से अधिक	20/-

आबकारी नीति के अनुसार विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की उपरोक्त् श्रेणियों के निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य के अतिरिक्त उपरोक्त विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क आरोपित होगा तथा तदनुसार अधिकतम फुटकर मूल्य का पुनर्निर्धारण किया जायेगा।

2.15 <u>अन्य</u>

2.15.1 देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों, मॉडल शॉप्स एवं प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स से बिक्री का समयः-

वर्ष 2019-20 के लिये देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप्स के खुलने/बिक्री का समय प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक है जिसे यथावत् बनाये रखा जाता है।

2.15.2 अवशेष स्टाक का निस्तारणः-

वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर जनपदों के विभिन्न अनुज्ञापनों पर दिनांक 31.03.2021 को बिक्री अवधि के पश्चात अवशेष स्टाक की ब्राण्डवार, धारितावार, तीव्रतावार और पैकेजिंगवार घोषणा अनुज्ञापी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी/संबंधित प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त के समक्ष दिनांक 01.04.2021 को दोपहर 12:00 बजे तक रु.100/- के नॉनजुडीशियल नोटराइज़्ड स्टाम्प पेपर पर की जायेगी तथा इस अवशेष स्टाक की सूचना जिला आबकारी अधिकारी/संबंधित प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित तिथि तक आयुक्तालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्तानुसार घोषित अवशेष स्टाक का निस्तारण शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। घोषित अवशेष स्टाक का भौतिक सत्यापन करने पर घोषित स्टाक के 1 प्रतिशत से अधिक का विचलन (जिसकी अधिकतम सीमा 1 पेटी होगी) पाये जाने पर एवं अवशेष स्टाक के निस्तारण में कोई अनियमितता पाये जाने की स्थिति में लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु मदिरा के अवशेष स्टाक का स्टाक रजिस्टर पृथक से बनाया जायेगा जिसका निरीक्षण/अनुश्रवण उसके द्वारा प्रस्तुत इण्डेण्ट और अनुज्ञापी द्वारा किये गये उपभोग के आंकड़ों का मिलान आबकारी निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। उपरोक्त अवशेष स्टाक को पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2021 को अनुज्ञापनों की संचालन अवधि के पश्चात इन पर उपलब्ध अवशेष मदिरा के स्टाक के निस्तारण के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया लागू

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

होगीः-

2.15.2.1 देशी मदिराः-

फुटकर दुकानों पर गतवर्ष की अवशेष देशी मदिरा की बिक्री अगले वर्ष करने की अनुमति नहीं दी जाती रही है एवं अवशेष स्टाक को नष्ट करने का प्राविधान था जिससे अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष के अंत में देशी मदिरा का न्यूनतम स्टाक रखने का प्रयास किया जाता है। वर्ष 2021 में होली का त्योहार माह मार्च-2021 के अंत में पड़ने के दृष्टिगत दुकानों पर वैध देशी मदिरा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु विशेष परिस्थितियों में नवीनीकृत दुकानों पर उपलब्ध देशी मदिरा के वर्ष 2020-21 के अवशेष स्टाक की वर्ष 2021-22 में एक विनिश्चित अवधि तक बिक्री की अनुमति दिया जाना उचित है। तद्क्रम में निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

1. देशी मदिरा की नवीनीकृत फुटकर दुकानों पर उपलब्ध वित्तीय वर्ष 2020-21 के अवशेष देशी मदिरा स्टाक को दिनांक 07.04.2021 तक बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। नवीनीकृत फुटकर दुकानों पर दिनांक 08.04.2021 को उपलब्ध वित्तीय वर्ष 2020-21 के अवशेष देशी मदिरा स्टाक को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा नष्ट करा दिया जायेगा।
2. वर्ष 2020-21 में व्यवस्थित देशी मदिरा के अनवीनीकृत फुटकर दुकानों एवं समस्त थोक अनुज्ञापनों सी.एल.-2 पर उपलब्ध क्यू.आर.कोड युक्त अवशेष स्टाक को वर्ष 2021-22 हेतु व्यवस्थित जिला के किसी थोक अनुज्ञापन पर सुरक्षित रखते हुये इसकी नीलामी/नष्ट करने एवं उक्त संबंधी प्राविधान गत वर्ष की भाँति यथावत रखा जाता है।
3. देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों में उपलब्ध देशी मदिरा के ऐसे अवशेष स्टाक जिस पर बार कोड एवं क्यू.आर. कोड लगे हैं तथा वर्ष 2020-21 का निर्धारित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क एवं अन्य देय शुल्क आदि जमा नहीं हुआ है, की री-बाटलिंग सहित वर्ष 2021-22 के बारकोड, क्यू.आर. कोड, लेबुल चस्पा करते हुये वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित प्रतिफल शुल्क तथा अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क एवं अन्य देय शुल्क के योग की धनराशि जमा कराकर, इसकी बिक्री अनुमन्य होगी।

2.15.2.2 विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी.:-

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवशेष स्टाक के निस्तारण में जटिलतायें एवं उनके निस्तारण में रोल ओवर शुल्क लगाने के कारण वित्तीय वर्ष के अन्तिम माहों में उठान कम होने के कारण राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वर्ष के आरम्भ में नये स्टाक की फुटकर दुकानों पर उपलब्धता में समय लगने के कारण राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अत: राजस्व हित एवं ईज़ आफ डूइंग बिजिनेस सुगम करने हेतु अवशेष स्टाक निस्तारण में रोल ओवर शुल्क समाप्त करते हुये निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

1. विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर दुकानों, मॉडल शॉप्स एवं समस्त थोक और बाण्ड अनुज्ञापनों, जिनका वर्ष 2021-22 हेतु नवीनीकरण नहीं हुआ है, पर उपलब्ध अवशेष स्टाक उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिला कलेक्टर की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

2. वर्ष 2020-21 की समाप्ति के पश्चात बार क्लब अनुज्ञापनों में भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, समुद्रपार आयातित मदिरा के अवशेष स्टाक पर प्रतिफल शुल्क व अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग के अंतर की धनराशि जमा कराकर अवशेष स्टाक का निस्तारण करने हेतु 31.03.2022 तक समय प्रदान किया जाएगा।

3. उक्त के अतिरिक्त 2021-22 हेतु नवीनीकृत विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों, प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स एवं मॉडल शॉप एवं बाण्ड अनुज्ञापनों पर उपलब्ध अवशेष स्टाक के निस्तारण के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था लागू की जाती हैः-

(1) वर्ष 2020-21 की समाप्ति के पश्चात् अवशेष जिन ब्राण्डों का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2021-22 हेतु होगा उन ब्राण्डों पर यदि वर्ष 2021-22 में कुल प्रतिफल फीस, एम.आर.पी. में कमी होती है तो उक्त स्टाक पर नयी एम.आर.पी. के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय दिनांक 31.03.2022 तक किया जायेगा।

(2) जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2021-22 हेतु करा लिया जाता है, उन ब्राण्डों पर यदि कुल प्रतिफल फीस, एम.आर.पी. में वृद्धि होती है तो कुल प्रतिफल फीस के अंतर की धनराशि जमा करायी जायेगी तथा उक्त स्टाक पर नयी एम.आर.पी. के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय दिनांक 31.03.2022 तक किया जायेगा।

(3) जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2021-22 हेतु नहीं कराया जाता है, उन ब्राण्डों की प्रतिफल फीस, एम.आर.पी. उनकी वर्ष 2020-21 के लिये घोषित ई.डी.पी./ई.बी.पी. पर वर्ष 2021-22 के नये सूत्र के अनुसार निर्धारित की जायेगी तथा अवशेष स्टाक का निस्तारण दिनांक 31.03.2022 तक निम्नवत् किया जायेगाः-

(i) नये सूत्र के अनुसार प्रतिफल फीस, का आगणन करने पर यदि कुल प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. की धनराशि में कमी होती है तो उक्त स्टाक पर नयी एम.आर.पी. के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

(ii) नये सूत्र के अनुसार प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि कुल प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. दोनों में वृद्धि होती है तो कुल प्रतिफल फीस के अंतर की धनराशि जमा कराकर उक्त स्टाक पर नयी एम.आर.पी. के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

(iii) नये सूत्र के अनुसार कुल प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि कुल प्रतिफल फीस में कमी होती है, किन्तु एम.आर.पी. में वृद्धि होती है, तब वर्ष 2020-21 की एम.आर.पी. पर ही बिक्री की जायेगी।

(iv) नये सूत्र के अनुसार कुल प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि कुल प्रतिफल फीस में वृद्धि होती है, किन्तु एम.आर.पी. में वृद्धि नहीं होती है, तब कुल प्रतिफल फीस के अंतर की धनराशि जमा कराकर तथा अंतर की धनराशि के समतुल्य एम.आर.पी. में वृद्धि करके उक्त स्टाक पर नयी एम.आर.पी. का स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

(v) दिनांक 31.03.2022 के पश्चात उपलब्ध अवशेष स्टाक उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिलाधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) कुल प्रतिफल शुल्क के आगणन हेतु प्रतिफल शुल्क, अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क एवं विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सम्मिलित किया जायेगा।

2.15.3 विदेशी मदिरा उत्पादक आसवनियां, एफ.एल.-1, एफ.एल.-1ए, एफ.एल.-3, एफ.एल.-3ए, एफ.एल.-2ए, एफ.एल.-2, एफ.एल. 2बी, कस्टम बाण्ड, एफ.एल.-9 एव एफ.एल.-9ए पर भी उपरोक्त प्राविधान लागू होंगें।

2.15.4 एफ.एल.-2डी अनुज्ञापनों पर उपलब्ध वित्तीय वर्ष 2020-21 के अवशेष स्टाक को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा नष्ट करा दिया जायेगा।

अवशेष स्टाक के निस्तारण के संबंध में उपरिवर्णित स्थितियों के अतिरिक्त उत्पन्न प्रकरणों में निर्णय हेतु आबकारी आयुक्त को प्राधिकृत किया जाता है।

2.16 <u>ईज़ आफ डूइंग बिज़नेस:-</u>

(1) बाण्ड अनुज्ञापनों, यवासवनियों एवं आसवनियों, अनुज्ञापनों पर आगामी वर्ष हेतु अनुमन्य विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाइन का अग्रिम भण्डारण किया जाना:-

(क) वर्ष के प्रारम्भिक माहों में विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाइन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अग्रिम भण्डारण की सुविधा, गत वर्ष बीयर हेतु की गयी अग्रिम भण्डारण की सुविधा की भॉति अनुमन्य किया जाता है। बाण्ड अनुज्ञापनों एवं आसवनियों पर वर्ष 2021-22 हेतु अनुमन्य विदेशी मदिरा एवं वाइन के अग्रिम भण्डारण की अनुमति दिनांक 15.02.2021 से अनुमन्य किया जाता है।

(ख) प्रदेश की आसवनियों/यवासवनियों/बाण्ड अनुज्ञापनों/एफ.एल.-1/1ए को वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रारम्भिक 3 माह की अवधि हेतु मदिरा/बीयर आदि के अग्रिम भण्डारण हेतु यथावश्यकता अतिरिक्त अस्थाई गोदाम परिसर रूपया 1,00,000/- एवं देशी, विदेशी मदिरा एवं बीयर थोक अनुज्ञापनों को अस्थाई गोदाम परिसर 01 माह के लिये रूपया 25,000/- के भुगतान पर आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

(2) **फुटकर दुकानों में परस्पर मासिक एम.जी.क्यू. अथवा निर्धारित त्रैमासिक राजस्व का अंतरण:-**

किसी भी जिले की देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर दुकान और माडल शॉप द्वारा अपनी दुकान हेतु निर्धारित मासिक एम.जी.क्यू. अथवा निर्धारित त्रैमासिक राजस्व के समतुल्य निकासी के 20 प्रतिशत से अनधिक अंश को संबंधित जिले की उसी श्रेणी की किसी अन्य दुकान या दुकानों को आपसी सहमति से तदनुसार जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर स्वीकृति प्राप्त कर स्थानांतरित कराया जा सकेगा। इस हेतु स्थानांतरण शुल्क देशी मदिरा के संबंध में रूपया 6/- प्रति ब.ली. तथा विदेशी मदिरा, बीयर की दुकान एवं माडल शाप के संबंध में स्थानांतरित होने वाले राजस्व का 5 प्रतिशत होगा। किसी भी दुकान द्वारा अपने निर्धारित मासिक एम.जी.क्यू. अथवा निर्धारित त्रैमासिक राजस्व के 20 प्रतिशत से अधिक के समतुल्य का स्थानांतरण प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। जिस दुकान से एम.जी.क्यू. अथवा राजस्व स्थानांतरित होगा उस दुकान पर समतुल्य निकासी ली गयी होना माना जायेगा परन्तु एम.जी.क्यू. अथवा राजस्व का स्थानांतरण प्राप्त करने वाली दुकान हेतु निर्धारित मासिक एम.जी.क्यू. अथवा निर्धारित त्रैमासिक राजस्व के समतुल्य निकासी में स्थानांतरित एम.जी.क्यू. अथवा राजस्व का समायोजन नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) वर्ष 2020-21 में समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा की ऐसी बोतलों जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य रु.2,500/- अथवा अधिक हो, के मोनोकार्टन को ही एक सील्ड पेटी अवधारित करते हुये बोतल एवं सील्ड पेटियों हेतु निर्धारित सुरक्षा कोड चस्पा किये जाने के उपरान्त बिक्री अनुमन्य की गयी थी। समुद्रपार आयातित मदिरा की एम.आर.पी. में कमी होने एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा के उच्च गुणवत्ता स्काच श्रेणी को समतुल्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2021-22 में समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा एवं भारत निर्मित स्काच श्रेणी की विदेशी मदिरा की ऐसी बोतलों जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य रु.2,000/- अथवा अधिक हो, के मोनोकार्टन को ही एक सील्ड पेटी अवधारित करते हुये बोतल एवं सील्ड पेटियों हेतु निर्धारित सुरक्षा कोड चस्पा किये जाने के उपरान्त बिक्री अनुमन्य किया जाता है।

(4) मदिरा के परिवहन पासों का ऑनलाइन सत्यापन मदिरा प्राप्ति साक्ष्य के रूप में पर्याप्त माना जाएगा। पासों का मैनुअल पद्धति से सत्यापन एवं वापसी की व्यवस्था को समाप्त किया जाता है।

(5) आसवनियों एवं यवासविनयों को अपने एफ.एल.-3/3ए अनुज्ञापनों से कुल देयताओं को जमा करने पर सीधे जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापनों को निकासी अनुमन्य की जाती है।

(6) वर्तमान में प्रदेश में अवस्थित समस्त उत्पादन इकाइयों पर मदिरा/अल्कोहल की तीव्रता की माप पुरानी प्रचलन विधि हाइड्रोमीटर द्वारा की जा रही है। मदिरा/अल्कोहल की तीव्रता की माप में नवीन तकनीक का उपयोग किया जाना समय की मांग है। उपरोक्त के दृष्टिगत विभाग की प्रयोगशालाओं में तथा आसवनियों में एन.ए.बी.एल. द्वारा प्रमाणित/मानकीकृत डिजिटल एल्कोहल मीटर का प्रयोग अनिवार्य किया जाता है।

(7) बाण्ड अनुज्ञापनों/आसवनियों/यवासवनियों से एक वाहन के माध्यम से किसी एक जिले के एक से अधिक थोक अनुज्ञापनों को एक श्रेणी की मदिरा के पारेषण अनुमन्य किये जायेंगे। मदिरा के पारेषणों से संबंधित वाहनों का अधिकतम पे-लोड परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित अधिकतम पे-लोड के अनुसार होगा।

(8) विभाग की सम्पूर्ण कार्य प्रणाली को कम्प्युटरीकृत करने एवं ट्रेक एण्ड ट्रेस लागू करने के पश्चात विभाग के पास उत्पादकों, मदिरा की आपूर्ति एवं बिक्री का डाटा बेस आपूर्ति कर्ता वार, ब्राण्ड वार, धारिता वार, क्षेत्र वार आदि उपलब्ध है। उक्त डाटा त्रुटि रहित एवं रीयल टाइम है। इसका विश्लेषण कर भविष्य की उत्पादन एवं क्रय विक्रय का बेहतर नियोजन करने में उत्पादकों एवं विक्रेताओं को बहुत लाभकारी होगा। वर्तमान में स्टेक होल्डर द्वारा विभिन्न श्रोतों से डाटा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जो प्राय: त्रुटिपूर्ण एवं अविश्वसनीय होता है । इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि विभिन्न प्रकार का डाटा इकाइयों द्वारा जनसूचना के माध्यम से भी मांगा जाता है जिसे तैयार करने एवं इकाइयों की अपेक्षानुसार उपलब्ध कराने में समय एवं संसाधनों का अपव्यय होता है।

चूँकि विभिन्न स्टेक होल्डर्स यह डाटा तैयार करने में संसाधन व्यय करते हैं, उन्हें इस डाटा को सशुल्क उपलब्ध कराया जाना उचित होगा। यह डाटा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आनलाइन उपलब्ध कराया जायेगा इस हेतु वार्षिक शुल्क रूपया 10.00 लाख निर्धारित किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

(9) बाण्ड अनुज्ञापनों/आसवनियों/यवासवनियों/चीनी मिलों आदि हेतु विहित पंजिकाओं में भरी जाने वाली सूचनायें विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध हैं जिनको पुन: विभागीय पंजिकाओं में मैनुअली भरे जाने में संसाधन एवं समय का अपव्यय होता है अत: विहित पंजिकाओं को आनलाइन भरे जाने की व्यवस्था लागू की जाती है।

(10) वर्ष 2021-22 की आपूर्ति हेतु उत्पादन प्रारम्भ किये जाने एवं पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत वर्ष 2020-21 हेतु आपूर्ति से संबंधित इण्डेण्टों को लगाने की कट-आफ तिथि एवं वर्ष 2021-22 का उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि आबकारी आयुक्त द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

(11) प्रदेश में स्थापित समस्त आसवनियों/यवासवनियों के अनुज्ञापनों को 03 वर्षो हेतु नवीनीकरण कराये जाने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।

(12) प्रदेश की चीनी मिलों में शीरा एवं आसवनी टैंकों में अल्कोहल मापने हेतु पुरानी पद्धति के प्रचलित मापक यंत्रों तथा बोतल भराई के उपरांत गणना हेतु उपयुक्त आधुनिक इलेक्ट्रानिक उपकरण लगाये जाने के प्राविधान संगत नियमावली में किये गये हैं। उक्त नियमावली के अनुरूप उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अंतिम तिथि 31.12.2021 निर्धारित की जाती है।

(13) आबकारी की फुटकर दुकानों एवं थोक अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन के दौरान तकनीकी कारणों से एक से अधिक बार जमा कर दी गयीं धनराशियों की वापसी के संबंध में आनलाइन सुविधा विकसित की जाएगी।

(14) उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968 (यथा संशोधित) के नियम 5(9) में यह प्राविधानित है कि "किसी अन्य जिले की सीमा के पॉच किलोमीटर के भीतर, सिवाय उसी दशा के, जब दोनों जिलों के कलेक्टर सहमति दे दें, मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये कोई लाइसेंस नहीं दिया जायेगा। यदि सहमति देने में विफल हों तो मामला आबकारी आयुक्त को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा"

उक्त प्राविधान को इस शर्त के साथ समाप्त किया जाता है कि दो जिलों के बीच विवाद की किसी स्थिति में मामला आबकारी आयुक्त को निर्दिष्ट किया जायेगा, उक्त संबंध में आबकारी आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

(15) गत वर्षो में स्थानीय निकायों के परिसीमन एवं मा. उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों से दुकानों को हटाने के कारण दुकानों के पुनर्स्थापित होने की दशा में दुकानों की अवस्थिति एवं वास्तविक स्थिति में अंतर हो गया है। उक्त विसंगति को दूर करने हेतु दुकानों की (बिना वास्तविक स्थल के परिवर्तन के) नाम में परिवर्तन की आवश्यकता है। अत: नवीनीकृत होने वाली दुकानों के नाम परिवर्तन करने हेतु जिला कलेक्टर को अधिकृत किया जाता है।

(16) **निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा हेतु वैयक्तिक होम लाइसेंस**

अधिसूचना संख्या: 838/तेरह-2010-25/2010, दिनांक 08.04.2010 के अन्तर्गत शासन द्वारा प्रदेश सीमा के अन्दर मदिरा की फुटकर बिक्री की सीमा निर्धारित की गई है। पृथक से किसी व्यक्ति निजी प्रयोग हेतु मदिरा रखने हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अत: वर्ष 2021-22 में निजी प्रयोग हेतु व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने हेतु लाइसेंस दिया जाएगा। मदिरा की मात्रा एवं शर्तो का निर्धारण संलग्नक-5 के अनुसार किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जाएगा। इस लाइसेंस हेतु प्रत्येक वर्ष रूपया 12,000/- लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि रूपया 51,000/- निर्धारित की जाती है। प्रतिभूति धनराशि जिला आबकारी अधिकारी को प्लेज्ड (Pledged) सावधि जमा रसीद के रूप् में देय होगी।

(17) उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की नियमावली, 1969 के नियम-6(9) में 42 प्रतिशत वी/वी तीव्रता से कम तीव्रता की मात्र जिन की भराई अनुमन्य है। उक्त प्राविधान के अनुसार प्रदेश में 42 प्रतिशत वी/वी से कम तीव्रता के वोदका, रम, ब्राण्डी की भराई प्रदेश में बिक्री हेतु अनुमन्य नहीं है जबकि प्रदेश के बाहर निर्मित 42 प्रतिशत वी/वी से कम तीव्रता के ब्राण्डों की प्रदेश में बिक्री तथा प्रदेश में निर्मित 42 प्रतिशत वी/वी से कम तीव्रता के ब्राण्डों की प्रदेश के बाहर बिक्री प्रतिबंधित नहीं है। उक्त विसंगति को दूर करने हेतु प्रदेश में 42 प्रतिशत वी/वी से कम एवं 36 प्रतिशत वी/वी से अधिक तीव्रता की श्रेणी में जिन के साथ साथ वोदका, रम एवं ब्राण्डी की भराई भी अनुमन्य की जाती है।

(18) वर्तमान में एच.बी.एस./सी.ए.बी./ई.एन.ए. आदि उच्च तीव्रता के अलकोहल के प्रदेश में आयात की अनुमति आबकारी आयुक्त के स्तर से प्रदान की जाती है। आयातक देश में निर्धारित मात्रा की सीमा के अंतर्गत प्रत्येक टैंकर हेतु परमिट के लिये जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से आवेदन करने पर जिला कलेक्टर द्वारा परमिट दिये जाने की व्यवस्था है। ईज़ आफ डूइंग बिजिनेस को बढ़ावा देने हेतु प्रक्रिया को आनलाइन किया जाना एवं परमिट निर्गत करने का अधिकार जिला कलेक्टर के स्थान पर उप आबकारी आयुक्त को प्रतिनिधानित किया जाता है।

2.17 <u>ट्रैक एण्ड ट्रैस प्रणाली:-</u>

(1) सम्प्रति उत्पादन से लेकर फुटकर दुकानों तक मदिरा की आपूर्ति ट्रैक एण्ड ट्रैस प्रणाली के अन्तर्गत की जा रही है, परन्तु फुटकर दुकानों से बिक्री को पी.ओ.एस. मशीन से स्कैन कराकर बिक्री कराये जाने तथा विभाग की समस्त प्रक्रियाओं को कम्प्यूटराइज्ड कर इन्टीग्रेटेड एक्साइज़ सप्लाई चेन मैनेजमैंट सिस्टम (IESCMS) के लिये सेवा प्रदाता का चयन किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की समस्त फुटकर दुकानों तथा समस्त मॉडल शॉप्स और भांग की फुटकर दुकानों की जियो फेंसिंग कराया जाना तथा मदिरा की प्रत्येक फुटकर दुकान पर पी.ओ.एस.(प्वाइंट आफ सेल) मशीनों, जिनके द्वारा विक्रीत मदिरा की बोतल के क्यू.आर. कोड को स्कैन करके सूचना अपलोड की जा सकेगी, के माध्यम से ही बिक्री किये जाने की व्यवस्था लागू की जाती है।

2.18 <u>नशे के दुष्प्रभावों एवं रिस्पांसिबिल ड्रिंकिंग के संबंध में प्रचार प्रसार हेतु बजट का प्राविधान</u>

नशे के दुष्प्रभावों एवं संयमित मदिरा सेवन (Responsible Drinking) के संबंध में सामान्य जन को जानकारी दिये जाने एवं जागरूकता लाये जाने हेतु विशेष प्रचार अभियान संचालित किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से (1) Under Age Drinking (2) Drunken Driving (3) Responsible Consumption पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

इस हेतु प्रभावी अभियान चलाये जाने एवं विभिन्न IEC गतिविधियों हेतु 1 करोड़ रूपये का प्राविधान किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

2.19 विभाग का सुदृढ़ीकरण:-

उल्लेखनीय है कि राज्य आबकारी द्वारा संग्रहीत किये गये राजस्व पर किये गये व्यय का प्रतिशत अखिल भारतीय स्तर पर प्राप्त औसत से अत्यधिक कम है। यह व्यय प्रतिशत प्रदेश के अन्य राजस्व प्राप्तकर्ता विभागों की तुलना में भी कम है। वर्ष 2019-20 में यह व्यय 01 प्रतिशत से भी कम था तथा 2020-21 में भी 01 प्रतिशत से कम रहने की संभावनायें हैं। अतः राजस्ववर्धन हेतु विभाग को और अधिक संसाधन सुदृढ़ बनाए जाने हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही की जाएगीः-

(i) विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराया जायेगा।

(ii) मदिरा की समस्त फुटकर दुकानों पर सी.सी.टी.वी. लगाया जायेगा। सी.सी.टी.वी. बंद पाये जाने पर जुर्माने का प्राविधान किया जायेगा।

(iii) कार्यहित में विभाग की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में सेवा निवृत्त् सहायक अल्कोहल टेक्नोलाजिस्ट एवं वरिष्ठ तकनीकी सहायकों को यथावश्यकता राज्य सरकार द्वारा इस संबंध् में बनाये गये नियमों के अनुसार संविदा पर नियुक्त किया जायेगा।

2.20 वर्ष 2021-22 के लिये अनुमानित राजस्व:-

क्र. सं.	मद	वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति में अंकित अनुमानित राजस्व (करोड़ रु.में)	वर्ष 2020-21 में अनुमानित राजस्व प्राप्ति (करोड़ रु.में)	वर्ष 2021-22 में संभावित राजस्व वृद्धि (करोड़ रु.में)	वर्ष 2021-22 में कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति (करोड़ रु. में) (कालम 4+5)
1	2	3	4	5	6
1.	**देशी मदिरा**- प्रतिफल फीस, बेसिक लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियाॅ	**15550**	**14600**	**3024**	**17624**
2.	**विदेशी मदिरा**- प्रतिफल फीस, लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियाॅ	**10950**	**8840**	**2178**	**11018**
3.	**बीयर**- प्रतिफल फीस,लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियाॅ	**4550**	**2700**	**407**	**3107**
4.	**अन्य मद**- शीरे पर प्रशासनिक शुल्क, आसवनी, ब्रिवरी की लाइसेंस फीस, आयात- निर्यात फीस, फार्मेसियों से प्राप्तियां एवं भांग की बिडमनी इत्यादि	**975**	**2200**	**550**	**2750**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	योग	32025	28340	6160	34500

2.21 वर्ष के मध्य में आबकारी नीति में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण के संबंध में:-

मा. मंत्रिपरिषद से स्वीकृति के उपरान्त आबकारी नीति का क्रियान्वयन किये जाने पर यदाकदा कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होतीं है। इन कठिनाइयों के समाधान एवं प्रक्रिया के सरलीकरण की व्यवस्था के लिए गत वर्ष की भॉति वर्ष 2021-22 हेतु भी निम्न व्यवस्था की जाती है:-

"मा. मंत्रिपरिषद से स्वीकृति के उपरान्त आबकारी नीति का क्रियान्वयन व राजस्व प्राप्ति में यदाकदा आने वाली कठिनाइयों के समाधान निवारण एवं प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु आबकारी नीति में सामयिक, व्यवहारिक, विधिक दृष्टि से किसी परिवर्तन हेतु आबकारी आयुक्त से प्राप्त, संस्तुत प्रकरणों पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर संस्तुति करने के लिये मुख्य सचिव, उ.प. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग एवं अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग सदस्य तथा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग समिति के सदस्य, संयोजक हैं, को अधिकृत करने तथा समिति की संस्तुति पर मा. आबकारी मंत्री जी के माध्यम से मा. मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।"

2.22 आबकारी नीति के क्रियान्वयन में संभावित जोखिम व आवश्यकतायें:-

(1) इस बात की आशंका रहती है कि कतिपय दुकानें (लगभग 5-10 प्रतिशत) निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा अथवा लाइसेंस फीस पर व्यवस्थित न हो पायें। ऐसी दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा अथवा लाइसेंस फीस में युक्तियुक्त तरीके से कमी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। नये अनुज्ञापियों को दुकान आवंटित होने की स्थिति में पिछले कई वर्षों से दुकानों को संचालित करने वाले अनुज्ञापियों द्वारा दुकानों के परिसर खाली करने में कठिनाइयां उत्पन्न की जा सकती हैं। अतः नवचयनित अनुज्ञापियों को इस संबंध में प्रशासन स्तर से सहयोग प्रदान किया जाएगा।

(2) वर्ष 2001-02 में नई आबकारी नीति लागू होने के पश्चात से वर्ष 2019-20 तक पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि की दर 6.6 प्रतिशत ऋणात्मक से लेकर अधिकतम 38.1 प्रतिशत प्राप्त हुयी है। अतः इसकी शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये तस्करी एवं अभिकर की चोरी रोकने के लिये योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया जाना आवश्यक होगा तथा इस संबंध में पुलिस विभाग का सक्रिय सहयोग एवं विभाग का सुदृढ़ीकरण अपेक्षित होगा।

(3) वर्ष 2020-21 में सम्प्रति देशी मदिरा के एम.जी.क्यू., विदेशी मदिरा व बीयर के उपभोग में क्रमशः 4.8 प्रतिशत, 16.9 प्रतिशत व 36 प्रतिशत की कमी है। इसे दृष्टिगत रखते हुये ही राजस्व प्राप्ति के अनुमानों का आगणन किया गया है, जिसके आधार पर वर्ष 2021-22 में रूपया 34,500 करोड़ की राजस्व प्राप्तियॉ संभावित हैं।

(4) कोविड-19 महामारी कारण देशभर में हुये लाकडाउन से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मदिरा का व्यापार भी इससे अछूता नहीं रहा है। यद्यपि शनै: शनै: मदिरा व्यापार में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

गति आ रही है, परन्तु विदेशी मदिरा के उठान /उपभोग में वर्षपर्यंत गत वर्ष के सापेक्ष लगभग 10 प्रतिशत तथा बीयर में लगभग 35 प्रतिशत की अद्यतन कमी रही है जिसकी आगे भी बने रहने की संभावनायें हैं। आगामी वर्ष में भी बीयर के उठान /उपभोग पर प्रभाव बना रह सकता है क्योंकि बीयर प्राय: ठन्डी कर सेवन की जाती है और कोविड-19 की रोक थाम के उपायों में ठन्डी वस्तुओं के सेवन से दूर रहने की सलाह दी जाती है।

3. कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित राजस्व की प्राप्ति की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत कार्ययोजना बनाकर निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु सर्वसम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। उपरोक्तानुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जिन नियमों, अधिसूचनाओं आदि में संशोधन, परिवर्तन, अपमार्जन की कार्यवाही अथवा नये नियम, नियमावलियों तथा अधिसूचनाओं का प्रख्यापन, विखण्डन (समाप्त) किया जाना हो, उनका यथा प्रक्रिया समायन्तर्गत प्रख्यापन कराया जाना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायें। यदि किन्हीं नियमों, अधिसूचनाओं आदि का संशोधन, परिवर्तन, अपमार्जन शासन स्तर से किया जाना हो, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर (हिन्दी व अंग्रेजी) में शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि आगामी कार्यवाही समय से की जा सके। साथ ही उक्तानुसार वांछित संशोधनों का प्रख्यापन समय से सुनिश्चित कराने हेतु कृपया अपने स्तर पर शीघ्रातिशीघ्र गहन समीक्षा भी कर लें ताकि भविष्य में कोई विधिक कठिनाई उत्पन्न न होने पाये।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-1

Pricing of C.L. (Spiced) (42.8% v/v) for the year 2021-22					
S.No.	**Item**	Post IESCMS		Before IESCMS	
		2021-22		**2021-22**	
		Qty. (in ml)	**Rate per B.L.**	**Qty. (in ml)**	**Rate per B.L.**
		200	**42.8%**	**200**	**42.8%**
1	Cost of liquor (11.01/5)	2.20	**11.01**	2.20	**11.01**
2	Bottling, Labelling & Capsuling	2.33		2.33	
3	Packing charges	0.55		0.55	
4	Bar code application	0.06		0.15	
5	Ex Factory price (without duty) - (R1+2+3+4)	**5.14**		**5.23**	
6	Excise Duty- (Rs 268.69/5)	53.74	**268.69**	53.74	**268.69**
7	Ex Factory price (with duty) - R(5+6)	**58.88**		**58.97**	
8	Profit @ 10% on the Ex Factory price (without duty on cost of liquor))- R(5)*0.10	0.51		0.52	
9	Ex Distillery Price (with duty)-R(7+8)	**59.39**		**59.49**	
10	Freight FOR at CL-2 wholesale Godown -(Rs1.47/5)	0.29	**1.47**	0.29	**1.47**
11	**Wholesale Cost Price- (9+10)**	**59.68**		**59.78**	
12	Godown Expenses- (Rs1.50/5)	0.30	**1.50**	0.30	**1.50**
13	Wastage (@ 0.25% of ex-distillery price with duty)-R(7*.0025)	0.14		0.14	
14	Incidence of wholesale Licence Fee-(Rs1.08/5)	0.22	**1.08**	0.22	**1.08**
15	Cost price at Wholesale - R(11+12+13+14)	**60.34**		**60.44**	
16	Profit @ 2.5% of Cost price at wholesale without duty- R(15-6)*0.025	0.17		0.17	
17	Interest for WS for one weeks @ 6% - R(15*0.06)(7/365)	0.07		0.07	
18	Optimal Wholesale price R(15+16+17)	60.58		60.68	
19	**MWP - R18**	**60.58**		**60.68**	
20	Wholesaler's margin -R(19-11)	0.90		0.90	
21	Incidence of Retailer's basic Licence Fee -(Rs35.13/5)	7.03	**35.13**	7.03	**35.13**
22	Retailer's profit and expenses -(Rs 31.33/5)	6.27	**31.33**	6.27	**31.33**
23	Optimum margin for retailer - R(22+21)	**13.30**		**13.30**	
24	Optimum Retail Price -R(23+19)	73.88		73.98	
25	Provision for Track and Trace	0.35		0.35	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

26	Optimum Retail Price with Track and Trace -R(24+25)	**74.23**		**74.33**	
27	**MRP- Ceiling (R26,5)**	**75.00**		**75.00**	
28	**Additional Consideration Fees- R(27-26)**	**0.77**		**0.67**	
29	Special additional Consideration Fees**(SACF)**	5.00		5.00	
30	**Final MRP(R27+R29)**	**80.00**		**80.00**	
31	Retailer's margin- R(24-19)	13.30		13.30	
32	Retailer's margin per litre- R29*5	66.50		66.50	
33	Retail Price of liquor per ml-R(30/5)	0.40		0.40	
34	% of Excise revenue in M Retail price-R(29+28+21+14+6)/30	83.45		83.33	
35	Total Duty in Rs. (R6+R28)	**59.51**		**59.41**	

Pricing of C.L. (Spiced) (36.0% v/v) for the year 2021-22

S.No.	**Item**	Post IESCMS		Before IESCMS	
		2021-22		**2021-22**	
		Qty. (in ml)	**Rate per B.L.**	**Qty. (in ml)**	**Rate per B.L.**
		200	**36%v/v**	**200**	**36%v/v**
1	Cost of liquor (9.29/5)	1.86	**9.29**	1.86	**9.29**
2	Bottling, Labelling & Capsuling	2.33		2.33	
3	Packing charges	0.55		0.55	
4	Bar code application	0.06		0.15	
5	Ex Factory price (without duty) - (R1+2+3+4)	**4.80**		**4.89**	
6	Excise Duty- (Rs 226/5)	45.20	**226.00**	45.20	**226.00**
7	Ex Factory price (with duty) - R(5+6)	**50.00**		**50.09**	
8	Profit @ 10% on the Ex Factory price (without duty on cost of liquor))-R(5)*0.10	0.48		0.49	
9	Ex Distillery Price (with duty)-R(7+8)	**50.48**		**50.58**	
10	Freight FOR at CL-2 wholesale Godown -(Rs1.47/5)	0.29	**1.47**	0.29	**1.47**
11	**Wholesale Cost Price- (9+10)**	**50.77**		**50.87**	
12	Godown Expenses- (Rs1.50/5)	0.30	**1.50**	0.30	**1.50**
13	Wastage (@ 0.25% of ex-distillery price with duty)-R(7*.0025)	0.12		0.12	
14	Incidence of wholesale Licence Fee-(Rs0.91/5)	0.18	**0.91**	0.18	**0.91**
15	Cost price at Wholesale - R(11+12+13+14)	**51.37**		**51.47**	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16	Profit @ 2.5% of Cost price at wholesale without duty- R(15-6)*0.025	0.15		0.16	
17	Interest for WS for one weeks @ 6% - R(15*0.06)(7/365)	0.06		0.06	
18	Optimal Wholesale price R(15+16+17)	51.58		51.69	
19	**MWP - R18**	**51.58**		**51.69**	
20	Wholesaler's margin -R(19-11)	0.81		0.82	
21	Incidence of Retailer's basic Licence Fee -(Rs29.55/5)	5.91	**29.55**	5.91	**29.55**
22	Retailer's profit and expenses -(Rs 26.35/5)	5.27	**26.35**	5.27	**26.35**
23	Optimum margin for retailer - R(22+21)	**11.18**		**11.18**	
24	Optimum Retail Price -R(23+19)	62.76		62.87	
25	Provision for Track and Trace	0.35		0.35	
26	Optimum Retail Price with Track and Trace -R(24+25)	**63.11**		**63.22**	
27	**MRP- Ceiling (R26,5)**	**65.00**		**65.00**	
28	**Additional Consideration Fees- R(27-26)**	**1.89**		**1.78**	
29	Special additional Consideration Fees**(SACF)**	5.00		5.00	
30	**Final MRP(R27+R29)**	**70.00**		**70.00**	
31	Retailer's margin- R(24-19)	11.18		11.18	
32	Retailer's margin per litre- R29*5	55.90		55.90	
33	Retail Price of liquor per ml-R(30/5)	0.35		0.35	
34	% of Excise revenue in M Retail price- R(29+28+21+14+6)/30	83.11		82.96	
35	Total Duty in Rs. (R6+R28)	**52.09**		**51.98**	

Pricing of C.L. (Spiced/Plain) (25 % v/v) for the year 2021-22					
S.No.	**Item**	Post IESCMS		Before IESCMS	
		2021-22		**2021-22**	
		Qty. (in ml)	**Rate per B.L.**	**Qty. (in ml)**	**Rate per B.L.**
		200	**25 %v/v**	**200**	**25 %v/v**
1	Cost of liquor (6.50/5)	1.30	**6.50**	1.30	**6.50**
2	Bottling, Labelling & Capsuling	2.33		2.33	
3	Packing charges	0.55		0.55	
4	Bar code application	0.06		0.15	
5	Ex Factory price (without duty) - (R1+2+3+4)	**4.24**		**4.33**	
6	Excise Duty- (Rs 156.94/5)	31.39	**156.94**	31.39	**156.94**
7	Ex Factory price (with duty) - R(5+6)	**35.63**		**35.72**	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8	Profit @ 10% on the Ex Factory price (without duty on cost of liquor))- R(5)*0.10	0.42		0.43	
9	Ex Distillery Price (with duty)-R(7+8)	**36.05**		**36.15**	
10	Freight FOR at CL-2 wholesale Godown -(Rs1.47/5)	0.29	**1.47**	0.29	**1.47**
11	**Wholesale Cost Price- (9+10)**	**36.34**		**36.44**	
12	Godown Expenses- (Rs1.50/5)	0.30	**1.50**	0.30	**1.50**
13	Wastage (@ 0.25% of ex-distillery price with duty)-R(7*.0025)	0.08		0.08	
14	Incidence of wholesale Licence Fee-(Rs0.63/5)	0.13	**0.63**	0.13	**0.63**
15	Cost price at Wholesale - R(11+12+13+14)	**36.85**		**36.95**	
16	Profit @ 2.5% of Cost price at wholesale without duty- R(15-6)*0.025	0.14		0.14	
17	Interest for WS for one weeks @ 6% - R(15*0.06)(7/365)	0.04		0.04	
18	Optimal Wholesale price R(15+16+17)	37.03		37.13	
19	**MWP - R18**	**37.03**		**37.13**	
20	Wholesaler's margin -R(19-11)	0.69		0.69	
21	Incidence of Retailer's basic Licence Fee -(Rs20.52/5)	4.10	**20.52**	4.10	**20.52**
22	Retailer's profit and expenses -(Rs 18.30/5)	3.66	**18.30**	3.66	**18.30**
23	Optimum margin for retailer - R(22+21)	**7.76**		**7.76**	
24	Optimum Retail Price -R(23+19)	44.79		44.89	
25	Provision for Track and Trace	0.35		0.35	
26	Optimum Retail Price with Track and Trace -R(24+25)	**45.14**		**45.24**	
27	**MRP- Ceiling (R26,5)**	**50.00**		**50.00**	
28	**Additional Consideration Fees- R(27-26)**	**4.86**		**4.76**	
29	Special additional Consideration Fees**(SACF)**	0.00		0.00	
30	**Final MRP(R27+R29)**	**50.00**		**50.00**	
31	Retailer's margin- R(24-19)	7.76		7.76	
32	Retailer's margin per litre- R29*5	38.80		38.80	
33	Retail Price of liquor per ml-R(30/5)	0.25		0.25	
34	% of Excise revenue in M Retail price-R(29+28+21+14+6)/30	80.96		80.76	
35	Total Duty in Rs. (R6+R28)	**36.25**		**36.15**	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-2

42.8 प्रतिशत वी/वी(मसाला), यू.पी. मेड लिकर (UPML) के मूल्य निर्धारण का चार्ट

1	Total Cost of GNS/GENA (96% v/v)	**55.00**
2	Cost of 42.8% v/v Spirit	24.52
3	Reduction + Labour Charge	0.18
4	Blending+Coloring+Flavoring	3.00
5	**Cost of 42.8% v/v C.L.(Spiced)**	**27.70**

Pricing of UP made Liquor (Spiced) (42.8 % v/v) for the year 2021-22					
S.No.	**Item**	Post IESCMS		Before IESCMS	
		2021-22		**2021-22**	
		Qty. (in ml)	**Rate per B.L.**	**Qty. (in ml)**	**Rate per B.L.**
		200	**42.8 %v/v**	**200**	**42.8 %v/v**
1	Cost of liquor (11.01/5)	5.54	**27.70**	5.54	**27.70**
2	Bottling, Labelling & Capsuling	2.33		2.33	
3	Packing charges	0.55		0.55	
4	Bar code application	0.06		0.15	
5	Ex Factory price (without duty) - (R1+2+3+4)	**8.48**		**8.57**	
6	Excise Duty- (Rs 268.69/5)	53.74	**268.69**	53.74	**268.69**
7	Ex Factory price (with duty) - R(5+6)	**62.22**		**62.31**	
8	Profit @ 10% on the Ex Factory price (without duty on cost of liquor))- R(5)*0.10	0.85		0.86	
9	Ex Distillery Price (with duty)-R(7+8)	**63.07**		**63.17**	
10	Freight FOR at CL-2 wholesale Godown -(Rs1.47/5)	0.29	**1.47**	0.29	**1.47**
11	**Wholesale Cost Price- (9+10)**	**63.36**		**63.46**	
12	Godown Expenses- (Rs1.50/5)	0.30	**1.50**	0.30	**1.50**
13	Wastage (@ 0.25% of ex-distillery price with duty)-R(7*.0025)	0.16		0.16	
14	Incidence of wholesale Licence Fee- (Rs1.08/5)	0.22	**1.08**	0.22	**1.08**
15	Cost price at Wholesale - R(11+12+13+14)	**64.04**		**64.14**	
16	Profit @ 2.5% of Cost price at wholesale without duty- R(15-6)*0.025	0.26		0.26	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

17	Interest for WS for one weeks @ 6% - R(15*0.06)(7/365)	0.07		0.07	
18	Optimal Wholesale price R(15+16+17)	64.37		64.47	
19	**MWP - R18**	**64.37**		**64.47**	
20	Wholesaler's margin -R(19-11)	1.01		1.01	
21	Incidence of Retailer's basic Licence Fee -(Rs35.13/5)	7.03	**35.13**	7.03	**35.13**
22	Retailer's profit and expenses -(Rs 31.33/5)	6.27	**31.33**	6.27	**31.33**
23	Optimum margin for retailer - R(22+21)	**13.30**		**13.30**	
24	Optimum Retail Price -R(23+19)	77.67		77.77	
25	Provision for Track and Trace	0.35		0.35	
26	Optimum Retail Price with Track and Trace -R(24+25)	**78.02**		**78.12**	
27	**MRP- Ceiling (R26,5)**	**80.00**		**80.00**	
28	**Additional Consideration Fees- R(27-26)**	**1.98**		**1.88**	
29	Special additional Consideration Fees**(SACF)**	5.00		5.00	
30	**Final MRP(R27+R29)**	**85.00**		**85.00**	
31	Retailer's margin- R(24-19)	13.30		13.30	
32	Retailer's margin per litre- R29*5	66.50		66.50	
33	Retail Price of liquor per ml-R(30/5)	0.43		0.43	
34	% of Excise revenue in M Retail price- R(29+28+21+14+6)/30	79.96		79.85	
35	Total Duty in Rs. (R6+R28)	**60.72**		**60.62**	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक – 3

<u>उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर/माडल शाप की फुटकर दुकानों के वर्ष 2021-22 के लिए नवीनीकरण हेतु</u>

<u>शपथ-पत्र का प्रारूप</u>

(रूपये 10 /- के नानजुडीशियल नोटराइज्ड स्टैम्प पेपर पर दिया जायेगा)

1- यह कि शपथकर्ता-- पुत्र/पुत्री/पत्नी ---------------------------------- निवासी --- दुकान-देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर/ माडल शाप -------------------------------, शाप आई0डी0 -------------- जनपद--- का वर्ष 2020-21 हेतु अनुज्ञापी है।

2- उक्त दुकान के लिये शपथकर्ता आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है।

3- यह कि शपथकर्ता अपनी उपरोक्त दुकान का वर्ष 2021-22 हेतु नवीनीकरण कराना चाहता है तथा अपनी उक्त दुकान को वर्ष 2020-21 हेतु अनुमोदित चौहद्दी पर संचालित करेगा।

4- यह कि शपथकर्ता ने वैध हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर से निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति पोर्टल पर अपलोड कर दी है।

5- यह कि शपथकर्ता की उपरोक्त दुकान की अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयतायें बेबाक हैं।

6- यह कि शपथकर्ता की उपरोक्त दुकान की वर्ष 2020-21 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित है।

7- यह कि शपथकर्ता वर्तमान अनुज्ञापन को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से दिनांक 31 मार्च, 2021 तक संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे गंभीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो।

8- यह कि शपथकर्ता शासन द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों के अनुसार माह मार्च 2021 तक की अवधि हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0/कुल राजस्व के समतुल्य निकासी लेगा।

9- यह कि शपथकर्ता अवगत है कि माह मार्च 2021 तक की अवधि हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0/कुल राजस्व के समतुल्य निकासी न लेने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2020-21 की प्रतिभूति धनराशि का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2021-22 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2020-21 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की वह प्रतिपूर्ति करेगा।

10- यह कि शपथकर्ता ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 एवं संबंधित नियमों एवं आदेशों तथा आबकारी नीति वर्ष 2021-22 को भली भॅाति समझ लिया है। शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन करेगा।

11- यह कि शपथकर्ता ने वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित नवीनीकरण फीस/एम0जी0क्यू0/बे0ला0फी0/लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि/त्रैमासिक कुल प्रतिफलशुल्क आदि की जानकारी प्राप्त कर ली है तथा वह उपरोक्त के संबंध में शासन द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों का पालन करेगा।

12- यह कि शपथकर्ता ने अपने बैंक खाते का त्रुटिररहित विवरण पोर्टल पर भर दिया है और भविष्य में उसे होने वाले समस्त भुगतान, यदि कोई हों, को उक्त बैंक खाते में ही प्राप्त करने पर सहमत है।

उपरोक्त क्रमांक-1 से 12 तक के बिन्दुओं में दी गयी सूचनायें सत्य हैं।

हस्ताक्षर शपथकर्ता-------------------

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक – 4

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के थोक अनुज्ञापन - सी0एल0-2/एफ0एल0-2/एफ0एल0-2बी के वर्ष 2021-22 के लिए नवीनीकरण हेतु शपथ-पत्र का प्रारूप

(रूपये 10 /- के नानजुडीशियल नोटराइज्ड स्टैम्प पेपर पर दिया जायेगा)

1- यह कि शपथकर्ता--- पुत्र/पुत्री/पत्नी ---------------------------------- निवासी -- **थोक अनुज्ञापन- सी0एल0-2/एफ0एल0-2/एफ0एल0-2बी** -------------------------------,अनुज्ञापन संख्या -------------- जनपद-- का वर्ष 2020-21 हेतु अनुज्ञापी है।

2- उक्त थोक अनुज्ञापन के लिये शपथकर्ता आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है।

3- यह कि शपथकर्ता अपने उपरोक्त अनुज्ञापन का वर्ष 2021-22 हेतु नवीनीकरण कराना चाहता है तथा अपने उक्त अनुज्ञापन को वर्ष 2020-21 हेतु अनुमोदित चौहद्दी पर संचालित करेगा।

4- यह कि शपथकर्ता ने वैध हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर से निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति पोर्टल पर अपलोड कर दी है।

5- यह कि शपथकर्ता के उपरोक्त अनुज्ञापन की अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयतायें बेबाक हैं।

6- यह कि शपथकर्ता के उपरोक्त अनुज्ञापन की वर्ष 2020-21 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित है।

7- यह कि शपथकर्ता के उपरोक्त अनुज्ञापन के विरूद्ध कोई गम्भीर अनियमितता वर्ष 2020-21 में नहीं पायी गयी है।

8- यह कि शपथकर्ता अवगत है कि अनुज्ञापन की शर्तो का पालन न करने अथवा इस शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2020-21 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2021-22 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। उपरोक्तानुसार जब्त की गयी प्रतिभूति की वह प्रतिपूर्ति करेगा।

9- यह कि शपथकर्ता ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 एवं संबंधित नियमों एवं आदेशों तथा आबकारी नीति वर्ष 2021-22 को भली भॉति समझ लिया है जिसका वह पालन करेगा। शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन करेगा।

10- यह कि शपथकर्ता ने वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित नवीनीकरण फीस/लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि की जानकारी प्राप्त कर ली है तथा वह उपरोक्त के संबंध में शासन द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों का पालन करेगा।

11- यह कि शपथकर्ता ने अपने बैंक खाते का त्रुटिरहित विवरण पोर्टल पर भर दिया है और भविष्य में उसे होने वाले समस्त भुगतान, यदि कोई हों, को उक्त बैंक खाते में ही प्राप्त करने पर सहमत है।

उपरोक्त क्रमांक-1 से 11 तक के बिन्दुओं में दी गयी सूचनायें सत्य हैं।

हस्ताक्षर शपथकर्ता --------------------------------------

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संलग्नक-5

वैयक्तिक होम लाइसेंस

(निजी व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने हेतु)

शर्ते

1- वैयक्तिक होम लाइसेंस भारत निर्मित विदेशी मदिरा और समुद्र पार आयातित मदिरा हेतु निर्धारित सीमा तक के क्रय, परिवहन एवं कब्जे में रखने हेतु अधिकृत होगा।

2- वैयक्तिक होम लाइसेंस परिसर में परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, परिवार के अतिथि एवं मित्र जो वयस्क हों द्वारा वैयक्तिक होम लाइसेंसी को किसी प्रकार का भुगतान, कैश अथवा काइन्ड अथवा दोनों में, किये बगैर एवं लाइसेंसी की सहमति से मदिरा पान कर सकेंगे।

3- निर्धारित लाइसेंस फीस का भुगतान करने पर पात्र आवेदकों को जिला कलेक्टर द्वारा वैयक्तिक होम लाइसेंस एक वर्ष के लिए स्वीकृत किया जायेगा। एक व्यक्ति को अपने एक मूल निवास के लिए ही केवल एक वैयक्तिक होम लाइसेंस अनुमन्य होगा। वैयक्तिक होम लाइसेंस किसी भी व्यक्ति को अपने फार्म हाउस अथवा गेस्ट हाउस के लिए अनुमन्य नहीं होगा।

4- वैयक्तिक होम लाइसेंस की वार्षिक अथवा वर्ष के किसी भाग की निर्धारित लाइसेंस फीस सुसंगत मद में ऑनलाइन जमा किया जायेगा।

5- वैयक्तिक होम लाइसेंस हेतु ऐसे आवेदक पात्र होंगे जो विगत 05 वर्षों से आयकर दाता हों। आवेदन पत्र के साथ विगत 05 वर्षों के आयकर रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। विगत 05 आयकर निर्धारण वर्षों में से न्यूनतम 03 वर्षों में आवेदक द्वारा न्यूनतम 20 प्रतिशत श्रेणी में आयकर का भुगतान किया गया होना चाहिये।

6- वैयक्तिक होम लाइसेंस के आवेदन पत्र के साथ आवेदक के पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न होना अनिवार्य होगा।

7- आवेदक को उसके मूल निवास जहॉ वह माता-पिता, पुत्र / पुत्रियों और पत्नी सहित निवास करता हो में ही वैयक्तिक होम लाइसेंस स्वीकृत किया जायेगा। इस हेतु आवेदक को अपने मूल निवास के स्वामित्व संबंधी अभिलेख अथवा किरायनामा की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में उक्त आशय का नोटेराइज्ड शपथ-पत्र भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

8- आवेदक को इस आशय का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि वह-

(i) किसी अनधिकृत अथवा 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को उक्त परिसर में प्रवेश से सुरक्षित रखेगा।

(ii) परिसर में उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुमन्य मदिरा के सिवाय अन्य कोई अवैध अथवा अनधिकृत मदिरा अथवा पदार्थ नहीं रखेगा।

9- वैयक्तिक होम लाइसेंस की शर्तो का उल्लंघन पाये जाने की दशा में लाइसेंस धारी के विरूद्ध संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी तथा प्रतिभूति धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा।

10- वैयक्तिक होम लाइसेंस के परिसर में उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुमन्य मदिरा को निम्न अधिकतम मात्रा तक संचित कर सकेगा:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

S. N.	Particular of liquors	Type	Size in ML				No. of Bottles and Cans			
i.	Whiskey	BII	0	0	0	750	0	0	0	6
		BIO	0	1750	1000	750	0	1	2	4
ii.	Rum	BII	0	0	0	750	0	0	0	2
		BIO	0	0	1000	750	0	0	1	1
iii.	Brandy	BII	0	0	0	750	0	0	0	2
		BIO	0	1750	1000	750	0	1	1	1
iv.	Gin	BII	0	0	0	750	0	0	0	2
		BIO	0	0	1000	750	0	0	1	1
V	Vodka	BII	0	0	0	750	0	0	0	2
		BIO	0	0	1000	750	0	0	1	1
Vi	Cider	BII	0	0	0	750	0	0	0	1
		BIO	0	0	1000	750	0	0	1	1
Vii	Wine	BII	0	0	1000	750	0	0	1	1
		BIO	4500	3000	1500	1000	1	1	1	1
Viii	Champagne	IMFL / BII	0	0	1000	750	0	0	1	1
		BIO	4500	3000	1500	1000	1	1	1	1
Ix	Beer	BII	0	0	0	500/650	0	0	0	12
		BIO	0	5000	1000	500/650	0	1	1	6
X	Liqueur	BII	0	0	1000	750	0	0	1	1
		BIO	0	0	1000	750	0	0	1	1
Xi	Tequila	BII	0	0	0	750	0	0	0	1
		BIO	0	0	0	750	0	0	0	1
Xii	Mescal	BII	0	0	0	750	0	0	0	1
		BIO	0	0	0	750	0	0	0	1
Xiii	Cognac	BII	0	0	0	750	0	0	0	2
		BIO	0	1750	1000	750	0	1	1	2
Xiv	Bitters	BII	0	0	0	750	0	0	0	1
		BIO	0	0	0	750	0	0	0	2
Xv	LAB	BII	0	0	0	up to 650	0	0	0	1
		BIO	0	0	1000	up to 650	0	0	1	12

http://shasanadesh.up.gov.in

उपरोक्त के अतिरिक्त समस्त श्रेणी के कुल 12 बोतल 90एम.एल./60एम.एल. की धारिता में अनुमन्य होगी।

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।